

**परिशिष्ट-1.1 (अ)**  
(संदर्भ: कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ-1)  
**छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा**

**अ-सामान्य आंकड़े**

सं क्रं.	विवरण		आँकड़े	
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या			
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़	
	ब	2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़	
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
	ब	जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) ( राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या <sup>2</sup> (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत )		39.9 प्रतिशत	
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत	
	ब	साक्षरता <sup>3</sup> (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) ( राष्ट्रीय औसत =37 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		41 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	गिनी कोएफिशियेन्ट <sup>5</sup>			
	अ	ग्रामीण ( राष्ट्रीय=0.29)	0.28	
	ब	शहरी ( राष्ट्रीय=0.38)	0.33	
8	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>6</sup> (जी.एस.डी.पी ) 2016-17		₹ 2,90,140 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2007-08 से 2016-17) सी.ए.जी.आर		सामान्य राज्य श्रेणी	13.2
			छत्तीसगढ़	13.8
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2007-08 से 2016-17)		सामान्य राज्य श्रेणी	15.2
			छत्तीसगढ़	15.3
11	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		सामान्य राज्य श्रेणी	11.9
			छत्तीसगढ़	12.7

**ब. वित्तिय आंकड़े**

सी.ए.जी.आर		विवरण			
		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़	सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़
प्रतिशत में					
क.	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	16.18	11.52	16.54
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.80	16.52	13.50	15.14
ग.	कर भिन्न राजस्व का	9.45	12.58	12.10	8.71
घ.	कुल व्यय का	15.84	17.28	15.31	11.88
ङ.	पूँजीगत व्यय का	14.53	10.56	17.91	20.88
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	22.74	9.86	18.81
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	25.41	14.92	22.64
ज.	मजदूरी एवं वेतन का	14.89	17.62	13.06	5.15
झ.	पेंशन का	17.17	22.71	10.63	-0.92

(स्रोत: राज्य शासन के वित्त लेखाओं पर आधारित वित्तिये आँकड़े)

- 1 जनगणना जानकारी में भारत की कुल जनसंख्या आँकड़े।
- 2 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 154।
- 3 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 149।
- 4 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), भाग, 2 पृष्ठ अ 156।
- 5 एचटीटीपी // प्लानिंगकमीशनएनआईसी.आईएन/ डाटा/ डाटाटेबल/ डाटा2312/ डाटाबुकडीईसी2014%20106.पीडीएफ
- 6 आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2016-17

**परिशिष्ट-1.1 (ब)**  
(संदर्भ: कांडिका-1.1: पृष्ठ-1)  
**शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र**

**सरकार के लेखे की संरचना:** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते हैं।

**भाग (I) समेकित निधि:** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

**भाग (II) आकस्मिकता निधि:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

**भाग (III) लोक लेखा:** कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

**भाग-स: वित्त लेखों की रूपरेखा**  
वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

<b>खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी</b>	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण-वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण-पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2017 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण-शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेर्य एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण-सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2016-17 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।
<b>खण्ड-2 – विस्तृत विवरणी</b>	
विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2016-17 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2017 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2017 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण-संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

## परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)

**वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि  
राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि**

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
स्थिर मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,65,937	1,82,229	1,96,023	2,09,012	2,23,932
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.13

(स्रोत: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तीय जोड़ों की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदों की परिभाषा निम्नानुसार है:

मद	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि} / \text{पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / $[(\text{पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं}) / 2] * 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति / $[(\text{प्रारंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष}) / 2] * 100$
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटाये सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियाँ-क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान

**परिशिष्ट – 1.3 (भाग – अ)**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)  
वर्ष 2016-17 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार

(₹ करोड़ में)

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
46,067.71		राजस्व प्राप्तियाँ		53,685.25	43,701.06		राजस्व व्यय	23,911.71	24,252.90	48,164.60
	17,074.86	कर राजस्व	18,945.21			10,408.76	सामान्य सेवायें	11,416.51	79.72	11,496.23
	5,214.79	कर-भित्त राजस्व	5,669.25			16,339.35	समाजिक सेवायें	6,404.92	14,936.69	21,341.61
	15,716.47	केन्द्रीय कर में राज्य का अंशदान	18,809.16			9,325.55	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,769.57	7,309.79	11,079.36
	2,328.79	आयोजनेत्तर अनुदान	2,013.42			2,419.42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	654.10	2,313.17	2,967.27
	4,775.83	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	7,785.03			1,413.26	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	633.69	3,470.38	4,104.07
	956.97	केन्द्र तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	463.18			69.14	सूचना एवं प्रसारण	118.56	2.66	121.22
						173.10	अनूसूचित जातियों / अनूसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	59.62	136.74	196.36
						227.12	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	79.28	140.76	220.04
						2,692.93	समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,075.80	1,555.87	2,631.67
						18.83	अन्य	14.29	7.33	21.62
						16,052.54	आर्थिक सेवायें	4,939.72	9,236.49	14,176.21
						8,324.55	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	2,172.38	4,596.34	6,768.72
						2,966.18	ग्रामीण विकास	1,525.49	2,773.62	4,299.11
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
						120.79	संचार	0.00	59.09	59.09
						489.54	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	304.26	220.56	524.82
						2,816.12	ऊर्जा	60.00	975.89	1,035.89
						489.37	उद्योग एवं खनिज	281.08	477.24	758.32
						781.29	परिवहन	554.55	99.03	653.58
						9.35	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.50	9.98	12.48
						55.35	सामान्य आर्थिक सेवायें	39.46	24.74	64.20
						900.41	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,150.55	0.00	1,150.55
46,067.71		कुल राजस्व प्राप्तियाँ		53,685.25		43,701.06	कुल राजस्व व्यय	23,911.71	24,252.90	48,164.60
	II	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा				2,366.65	अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य	0.00	0.00	5,520.65
46,067.71		योग		53,685.25	46,067.71		योग			53,685.25

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
1,218.38		स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष		2,833.72	0.00		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00
2.84		विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		2.37	7,945.01		पूँजीगत व्यय	38.71	9,431.80	9,470.51
					362.33		सामान्य सेवायें	31.34	156.19	187.54
					1,807.01		सामाजिक सेवायें	5.02	2,455.60	2,460.62
						497.28	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.06	516.89	516.95
						289.82	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	325.00	325.00
						657.04	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	4.30	1,092.72	1,097.02
						0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.02	0.00	0.02
						240.73	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.24	366.64	366.88
						49.25	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.41	76.66	77.07
						72.87	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	77.68	77.68
					5,775.67		आर्थिक सेवायें	2.34	6,820.01	6,822.35
						63.17	कृषि एवं संबंधित सेवायें	1.67	90.33	92.01
						721.19	ग्रामीण विकास	0.00	366.70	366.70
						1,736.71	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.23	1,887.91	1,888.13
						130.00	ऊर्जा	0.015	907.44	907.46
						52.97	उद्योग एवं खनिज	0.42	110.64	111.06
						3,068.92	परिवहन	0.00	3,422.89	3,422.89
							विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	7.18	7.18
						2.71	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.30	0.30
						0	योग पूँजीगत व्यय	0.00	26.61	26.61
0.52		अंतर्राज्यीय समाशोधन		0.38	7,945.01		अंतर्राज्यीय समाशोधन	38.71	9,431.80	9,470.51
296.39		ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		172.99	0.49		ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			0.44
	0.00	विद्युत परियोजनाओं से			164.73		विद्युत परियोजनाओं हेतु			272.71
	0.31	सरकारी सेवकों से	1.11			0.00	सरकारी सेवकों को	0.00	0.00	0.00
	296.39	अन्य से	172.99			0.00	अन्य को	0.00	0.00	0.00
2,366.65		लाया गया राजस्व अधिक्च		5,520.65		88.32	लाया गया राजस्व घाटा	0.00	272.71	0.00
7,251.15		लोक ऋण प्राप्तियाँ		5,479.93	0.00		लोक ऋणों का पुनर्भगतान			
	0.00	बाह्य ऋण			1,250.18		बहाय ऋण			1,152.62
	7,105.87	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	5,098.40			0.00	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	0.00	0.00	0.00
						702.31				982.67

2015-16		प्राप्तियाँ	2016-17		2015-16		भुगतान	2016-17		
								गैर योजना	योजना	योग
0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00		383.80		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			0.00
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन	0.00							
145.28		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	381.53		164.07		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			169.96
0.00		आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00		1.72		आकस्मिकता निधि से विनियोग			2.29
1.72		आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		62.29		1.72	आकस्मिकता निधि से व्यय			60.00
55,059.09		लोक लेखा प्राप्तियाँ		62,693.95	54,000.89		लोक लेखा संवितरण			61,148.85
	1,094.55	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1,126.89			580.25	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			699.93
	1,628.09	आरक्षित निधियाँ	1,617.38			1,038.16	आरक्षित निधियाँ			977.58
	40,316.74	उचत एवं विविध	46,701.87			40,281.04	उचत एवं विविध			46,823.36
	8,601.45	प्रेषण	9,224.16			8,613.39	प्रेषण			9,175.02
	3,418.26	निकेप एवं अग्रिम	4,023.64			3,487.80	निकेप एवं अग्रिम			3,472.96
0.00	0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	0.00	0.00	2,833.72		वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			4,658.85
						0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			0.00
						(-577.94)	रिजर्व बैंक के पास निकेप			339.18
						11.86	स्थयी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			9.04
						3,399.80	रोकड़ शेष निवेश			4,310.63
66,196.72		योग ब		76,766.27	66,196.72		योग ब			76,766.27

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – ब)  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1, 1.9.1 एवं 1.9.2: पृष्ठ-1 एवं 26)  
छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 की स्थिति	दायित्व	31.03.2017 को
<b>24,214.56</b>	<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>28,330.29</b>
14,552.32	ब्याज सहित बजार ऋण	18,450.00
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.11
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
9,639.84	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,857.89
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00
<b>1,835.59</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>2,047.15</b>
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68
2.16	आयोजनेतर ऋण	1.62
1,832.79	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	2,044.89
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19
(-)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.23
<b>40.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>100.00</b>
<b>4,163.66</b>	<b>लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि</b>	<b>4,592.47</b>
<b>5,567.30</b>	<b>निक्षेप</b>	<b>6,117.97</b>
<b>3,579.11</b>	<b>आरक्षित निधियाँ</b>	<b>4,141.61</b>
<b>140.77</b>	<b>उचंचत एवं विविध शेष</b>	<b>163.79</b>
<b>39,540.99</b>	<b>योग</b>	<b>45,493.28</b>
<b>53,823.68</b>	<b>अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय</b>	<b>63,346.82*</b>
6,192.22	कम्पनियों निगमों इत्यादि में निवेश	6,778.60
47,631.46	अन्य पूंजीगत व्यय	56,568.22
<b>1,263.75</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>1,373.68</b>
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	108.71
1,163.60	अन्य विकास ऋण	1,264.43
	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	0.54
<b>1,543.63</b>	<b>आरक्षित निधि में निवेश</b>	<b>1,798.63</b>
<b>1.94</b>	<b>अग्रिम</b>	<b>1.92</b>
<b>356.72</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>307.58</b>
<b>0.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>0.00</b>
<b>1,290.09</b>	<b>नगदी</b>	<b>2,860.22</b>
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
(-)577.94	रिजर्व बैंक में निक्षेप	339.18
11.54	विभागीय नगदी शेष अचल	8.70
0.32	स्थायी अग्रिम	0.34
1,856.17	नगदी शेष निवेश	2,512.00
<b>(-)18,738.82</b>	<b>सरकारी लेखे में घाटा</b>	<b>(-)24,140.57</b>
(-)2,366.65	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	(-)5,520.65
(-)4,481.27	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	(-)118.9
(-)11,890.90	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा	(-)18,738.82
<b>39,540.99</b>	<b>योग</b>	<b>45,493.27</b>

\*ज्वाइंट वैंचर कंपनी 'छत्तीसगढ़ पूर्व रेल्वे लिमिटेड' और 'छत्तीसगढ़ पश्चिम रेल्वे लिमिटेड' की शेयर पूंजी ₹ 55.00 करोड़ निवेश शामिल है ।



**परिशिष्ट – 1.4**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.3 : पृष्ठ- 5)  
**वर्ष 2016-17 के लिये बजट प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट प्रावधान 2016-17	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
राजस्व प्राप्ति	61,426.67	53,685.25	(-)7,741.42	(-)12.60
स्वयं कर राजस्व	21,964.10	18,945.21	(-)3,018.89	(-)13.75
व्यापार, विक्रय आदि पर कर	11,928.37	9,927.21	(-)2,001.16	(-)16.78
राज्य उत्पाद शुल्क	3,870.00	3,443.51	(-)426.49	(-)11.02
वाहन पर कर	954.11	985.27	31.16	3.27
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	1,485.00	1,211.35	(-)273.65	(-)18.43
यात्री एवं वस्तु पर कर	1,563.77	1,340.36	(-)223.41	(-)14.29
भू-राजस्व	5,50.00	503.66	(-)46.34	(-)8.43
विद्युत पर शुल्क एवं कर	1,575.00	1,495.48	(-)79.52	(-)5.05
अन्य कर	7.86	38.37	30.51	388.17
गैर कर राजस्व	7,420.15	5,669.25	(-)1,750.90	(-)23.60
केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	18,650.16	18,809.16	159.00	0.85
भारत सरकार से सहायक अनुदान	13,392.26	10,261.63	(-)3,130.63	(-)23.38
पूंजीगत प्राप्तियां	8,544.96	6,047.76	(-)2,497.20	(-)29.22
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	520.72	172.99	(-)347.73	(-)66.78
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	2.37	2.37	100.00
शुद्ध लोक ऋण	7,524.24	4,327.30	(-)3,196.94	(-)42.49
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां	500	1,545.10	1,045.10	209.02
राजस्व व्यय	56,389.53	48,164.60	(-)8,224.93	(-)14.59
सामान्य सेवायें	13,775.36	11,496.23	(-)2,279.13	(-)16.55
राज्य के अंग	449.32	304.68	(-)144.64	(-)32.19
वित्तीय सेवायें	1,178.31	1,203.48	25.17	2.14
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	2,789.98	2,886.83	96.85	3.47
प्रशासकीय सेवायें	4,173.81	3,614.70	(-)559.11	(-)13.40
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,183.94	3,486.54	(-)1,697.40	(-)32.74
समाजिक सेवायें	24,028.51	21,341.61	(-)2,686.90	(-)11.18
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	13,309.18	11,079.36	(-)2,229.82	(-)16.75
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,628.00	2,967.27	(-)660.73	(-)18.21
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	3,327.11	4,104.07	776.96	23.35
सूचना एवं प्रसारण	91.18	121.22	30.04	32.95
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	267.35	196.36	(-)70.99	(-)26.55
श्रम एवं श्रम कल्याण	379.54	220.04	(-)159.50	(-)42.03
समाजिक कल्याण एवं पोषाहार	2,997.91	2,631.67	(-)366.24	(-)12.22
अन्य	28.23	21.62	(-)6.61	(-)23.42

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

विवरण	बजट प्राक्कलन 2016-17	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
<b>आर्थिक सेवायें</b>	<b>17,549.71</b>	<b>14,176.21</b>	<b>(-)3,373.50</b>	<b>(-)19.22</b>
कृषि एवं समवर्गी सेवायें	8,897.98	6,768.72	(-)2,129.26	(-)23.93
ग्रामीण विकास	4,854.57	4,299.11	(-)555.46	(-)11.44
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	420.21	524.82	104.61	24.90
ऊर्जा	1,200.14	1,035.89	(-)164.25	(-)13.69
उद्योग एवं खनिज	796.06	758.32	(-)37.74	(-)4.74
यातायात	1,148.18	653.58	(-)494.60	(-)43.08
संचार	103.56	59.09	(-)44.47	(-)42.94
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	15.51	12.48	(-)3.03	(-)19.54
सामान्य आर्थिक सेवायें	113.5	64.2	(-)49.30	(-)43.44
<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>1,035.95</b>	<b>1,150.55</b>	<b>114.60</b>	<b>11.06</b>
<b>पूँजीगत व्यय जिसमें</b>	<b>13,004.47</b>	<b>9,470.51</b>	<b>(-)3,533.96</b>	<b>(-)27.18</b>
<b>सामान्य सेवायें</b>	<b>327.07</b>	<b>187.54</b>	<b>(-)139.53</b>	<b>(-)42.66</b>
<b>सामाजिक सेवायें</b>	<b>2,961.68</b>	<b>2,460.63</b>	<b>(-)501.05</b>	<b>(-)16.92</b>
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	715.68	516.95	(-)198.73	(-)27.77
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	419.92	325	(-)94.92	(-)22.60
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,296.83	1,097.02	(-)199.81	(-)15.41
सूचना तथा प्रसार	0.02	0.02	0.00	0.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	334.52	366.88	32.36	9.67
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	98.88	77.07	(-)21.81	(-)22.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	95.83	77.68	(-)18.15	(-)18.94
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>9,715.72</b>	<b>6,822.35</b>	<b>(-)2,893.37</b>	<b>(-)29.78</b>
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	155.55	92.01	(-)63.54	(-)40.85
ग्रामीण विकास	843.66	366.7	(-)476.96	(-)56.54
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,340.93	1,888.13	(-)452.80	(-)19.34
ऊर्जा	511.34	907.46	396.12	77.47
उद्योग एवं खनिज	97.2	111.06	13.86	14.26
परिवहन	5,723.64	3,422.89	(-)2,300.75	(-)40.20
बहुउत्पन्नपबंधनपवद	5.00	7.18	2.18	43.60
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	4.9	0.3	(-)4.60	(-)93.88
सामान्य आर्थिक सेवाएं	33.5	26.61	(-)6.89	(-)20.57
<b>राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>5,037.14</b>	<b>5,520.65</b>	<b>483.51</b>	<b>9.60</b>
<b>राजकोषीय घाटा (-)</b>	<b>8,111.32</b>	<b>4,047.28</b>	<b>(-)4,064.04</b>	<b>(-)50.10</b>
<b>प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)</b>	<b>5,539.34</b>	<b>1,360.44</b>	<b>(-)4,178.90</b>	<b>(-)75.44</b>

**परिशिष्ट – 1.5**  
(संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ- 6)  
वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत / आधिक्य
1	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.35	0.00	-0.61	0.74	0.75	0.01
2	परिचायको के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	10.99	0.00	-6.65	4.34	4.38	0.04
3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण	7.67	0.00	-2.09	5.58	5.69	0.11
4	स्वास्थ्य मितानिन परियोजना	1.26	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
5	मितानिन कल्याण निधि	41.57	50.00	0.00	91.57	91.57	0.00
6	शहरी निकायों को सायकल वितरण	0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00
7	शहरी क्षेत्रों में महिला शौचालय	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	5.00
8	हाईस्कूल छात्राओं को निपुल्क सायकल प्रदाय	61.00	71.99	-25.10	107.89	106.17	-1.72
9	कन्या शिक्षा परिसर	11.16	0.00	-1.94	9.22	8.35	-0.88
10	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना	5.50	2.90	-1.07	7.33	7.72	0.38
11	इंदिरा आवास योजना	600.00	0.00	-486.98	113.02	113.02	0.00
12	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	200.00	51.78	-15.89	235.89	235.89	0.00
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	48.57	0.00	0.00	48.57	50.41	1.84
14	नया गैस कनेक्शन के लिये महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.05	0.00	0.00	0.05	0.01	-0.04
15	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	-0.20	12.80	36.15	23.35
16	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश (दिशा दर्शन)	1.25	0.00	-0.10	1.15	1.15	0.00
17	महिलाओं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान	0.15	0.00	-0.14	0.01	0.01	0.15
18	महिला जागृति शिविर	4.35	0.00	-0.29	4.06	4.09	4.35
19	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	-0.48	0.98	0.98	0.00
20	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	11.68	0.00	-7.73	3.94	3.94	11.68
21	क्षेत्रिय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.55	0.00	-0.58	0.97	0.99	0.02
22	सबला योजना	153.34	15.00	-7.28	161.06	161.06	0.00
23	महतारी जतन योजना	25.00	14.10	-16.23	22.87	22.86	25.00
24	सूखा पीड़ित परिवारों को कन्या विवाह अनुदान	8.00	0.00	-0.01	8.00	7.72	8.00
25	बुनियादी परिचायिका शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य/लोक स्वास्थ्य के बुनियादी पाठ्यक्रम	35.96	0.02	-16.66	19.33	19.21	-0.12
<b>योग</b>		<b>1,250.08</b>	<b>205.79</b>	<b>-595.26</b>	<b>860.61</b>	<b>883.38</b>	<b>22.77</b>

कुल बजट प्रावधान ₹ 1,455.87 करोड. = मूल बजट प्रावधान ₹ 1,250.08 करोड. + पूरक बजट प्रावधान ₹ 205.79 करोड.

परिशिष्ट – 1.6

(संदर्भ: कंडिका-1.3, 1.3.1 एवं 1.4: पृष्ठ- 9 एवं 13)  
राज्य सरकार के वित्तिय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण

(रिक्कोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>भाग अ – प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>29,578(89)</b>	<b>32,050(85)</b>	<b>37,988(85)</b>	<b>46,068(86)</b>	<b>53,685(90)</b>
<b>(i)स्वयं कर राजस्व</b>	<b>13,034(44)</b>	<b>14,343(45)</b>	<b>15,707(41)</b>	<b>17,075 (37)</b>	<b>18,945(35.29)</b>
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
योजित कर प्रणाली/विक्रय पर कर, व्यापार आदि	6,929(53)	7,930(55)	8,429(54)	8,908(52)	9,927(52.40)
राज्य आबकारी	2,486(19)	2,549(18)	2,892(18)	3,338(20)	3,444(18.18)
वहनों पर कर	592(5)	651(4)	703(04)	829(05)	985(5.20)
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	952(7)	990(7)	1,023(07)	1,185(07)	1,211(6.39)
भू-राजस्व	234(2)	226(2)	332(02)	364(02)	504(2.66)
वस्तु एवं यात्री कर	954(7)	945(7)	982(06)	1,040(06)	1,340(7.07)
अन्य कर	887(7)	1,052(7)	1,346(09)	1,411(08)	1,534(8.09)
<b>(ii)गैर कर राजस्व</b>	<b>4,616(16)</b>	<b>5,101(16)</b>	<b>4,930(13)</b>	<b>5,215(11)</b>	<b>5,669(10.56)</b>
<b>(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश</b>	<b>7,218(24)</b>	<b>7,880(24)</b>	<b>8,363(22)</b>	<b>15,716(34)</b>	<b>18,809(35)</b>
<b>(iv)भारत सरकार द्वारा दिया गया सहायक प्राप्तियाँ</b>	<b>4,710(16)</b>	<b>4,726(15)</b>	<b>8,988(24)</b>	<b>8,062(18)</b>	<b>10,262(19)</b>
<b>2.विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>02</b>
<b>3.ऋण एवं अग्रिम की वसूली</b>	<b>1,542(5)</b>	<b>1,637(4)</b>	<b>195(0.44)</b>	<b>296(0.55)</b>	<b>173(0.29)</b>
<b>3(अ).अन्तर्राज्यीय समशोधन</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>0.38</b>
<b>4.कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>31,124</b>	<b>33,700</b>	<b>38,187</b>	<b>46,367</b>	<b>53,860</b>
<b>5.लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>2,058(6)</b>	<b>3,932(10)</b>	<b>6,440 (14)</b>	<b>7,251(14)</b>	<b>5,480(9)</b>
आंतरिक ऋण	2,041	3,917	6,431	7106	5,098
शुद्ध लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	17	15	9	145	382
<b>6.संचित निधि की कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>33,182</b>	<b>37,632</b>	<b>44,627</b>	<b>53,618</b>	<b>59,340</b>
<b>7.आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>8.लोक लेखे प्राप्तियाँ</b>	<b>39,579</b>	<b>45,868</b>	<b>51,322</b>	<b>55,059</b>	<b>62,694</b>
<b>9.राज्य की कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>72,761</b>	<b>83,500</b>	<b>95,949</b>	<b>1,08,677</b>	<b>1,22,094</b>
<b>भाग ब – व्यय/वितरण</b>					
<b>10.राजस्व व्यय</b>	<b>26,972(80)</b>	<b>32,859(85)</b>	<b>39,561(85)</b>	<b>43,701(84)</b>	<b>48,165(83)</b>
योजना	12,440(46)	13,749(42)	20,990(53)	20,529(47)	24,253(50)
गैर योजना	14,532(54)	19,110(58)	18,571(47)	23,172(53)	23,912(50)
सामान्य सेवायें	6,649(25)	7,851(24)	9,041(23)	10,409(24)	11,496(24)
समाजिक सेवायें	11,456(42)	14,282(43)	15,389(39)	16,339(37)	21,342(44)
आर्थिक सेवायें	8,012(30)	9,756(30)	14,152(36)	16,053(37)	14,176(29)
<b>सहायक अनुदान एवं अशदान</b>	<b>854(03)</b>	<b>970(03)</b>	<b>979(02)</b>	<b>900(02)</b>	<b>1,151(02)</b>
<b>11.पूंजीगत व्यय</b>	<b>4,919(15)</b>	<b>4,574(12)</b>	<b>6,544(14)</b>	<b>7,945(15)</b>	<b>9,471(16)</b>
योजना	4,914(100)	4,575(100)	6,535(99.86)	7,943(99.97)	9,432(99.59)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर योजना	5	(-) 01	9(0.14)	2(0.03)	39(0.41)
सामान्य सेवायें	125(2)	182(4)	258(4)	362(05)	188(1.99)
सामान्य सेवायें	951(24)	692(15)	1,560(24)	1,807(23)	2,461(25.98)
आर्थिक सेवायें	3,843(74)	3,700(81)	4,727(72)	5,776(73)	6,822(72)
<b>12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण</b>	<b>1,889(6)</b>	<b>1,319(3)</b>	<b>89(0.19)</b>	<b>165(0.32)</b>	<b>273(0.46)</b>
12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन	-1	5	1	0.49	0.44
<b>13. योग (10+11+12+12(अ))</b>	<b>33,779</b>	<b>38,757</b>	<b>46,195</b>	<b>51,811</b>	<b>57,909</b>
<b>14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान</b>	<b>1,039(3)</b>	<b>690(2)</b>	<b>1,337(3)</b>	<b>1,250(02)</b>	<b>1,153(02)</b>
आंतरिक ऋण	870(84)	541(78)	1,180(88)	1,086(87)	983(85)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	169(16)	149(22)	157(12)	164(13)	170(15)
<b>15. आकस्मिकता निधि में पुर्नविनियोजन</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>60</b>
<b>16. संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)</b>	<b>34,818</b>	<b>39,447</b>	<b>47,532</b>	<b>53,061</b>	<b>59,122</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि से भुगतान</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18. लोक लेखे से भुगतान</b>	<b>38,527</b>	<b>43,434</b>	<b>49,933</b>	<b>54,001</b>	<b>61,149</b>
<b>19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)</b>	<b>73,345</b>	<b>82,881</b>	<b>97,465</b>	<b>1,07,062</b>	<b>1,20,271</b>
<b>भाग स - कमी</b>					
20. राजस्व कमी(-)(1-10)/आधिक्य (+)	2,606	(-) 809	(-)1,573	2,367	5,521
21. वित्तिय कमी (-) आधिक्य(+)(4-13)	(-) 2,655	(-) 5,057	(-)8,008	(-)4,574	(-)4,047
22. प्राथमिक कमी(-) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-) 1,502	(-) 3,706	(-)6,281	(-)2,425	(-)1,361
<b>भाग द - अन्य संख्यायें</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय के साथ)	1,153	1,351	1,727	2,149	2,687
24. स्थानीय निकायों आदि को	7,044	7,651	10,573	9,678	12,771.36
25 वित्तिय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिक भुगतान का लाभ उठाया (दिनों में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. तरीके एवं माध्यम/अधिक भुगतान पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
28. वर्षान्त पर लंबित ऋण	19,268	24,904	30,981	37,741	43,431
29. वर्षान्त पर लंबित जमानत	2,695	3,358	2,314	1,988	3,983
30. वर्षान्त पर अधिकतम जमानत राशि	6,605	7,572	9,080	14,883	12,641
31. अधूरे परियोजना की संख्या	146	166	167	194	145
32. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूंजी	3,110	4,198	4,824	5,912	5,937
<b>भाग इ - वित्तिय स्वास्थ्य सूचक</b>					
<b>1. संसाधनों का प्रचलन</b>					
स्वयं कर राजस्व/घरेलू	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
राज्य सकल उत्पाद	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
स्वयं गैर कर राजस्व/घरेलू	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06
<b>2. व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/घरेलू राज्य सकल उत्पाद	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.14	1.21	1.22	1.12	1.08
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.80	0.85	0.86	0.84	0.83
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.12	0.14	0.15	0.16
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.11	0.14	0.15	0.16
<b>3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					

7 वर्ष 2015-16 के आंकड़े वित्त लेखे में प्रारूप समायोजन एवं सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में बदलाव के कारण परिवर्तित हुए हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2016-17

राजस्व घाटा (आधिक्य) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.01	0.00	(-)0.01	0.01	0.02
राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य (+) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01
प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00
राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(-)0.98	0.16	0.20	(-)0.52	(-)1.36
<b>4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देनदारियाँ / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15
राजकोषीय देनदारियाँ / राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.65	0.78	0.82	0.82	0.81
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	1.72	2.71	3.58	1.20	0.78
<b>5. अन्य राजकोषीय सूचक</b>					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	0.11	0.76	0.05	0.09	0.01
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	11,763	9,730	12,097	17,363	21,725
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.66	1.48	1.36	1.47	1.53

नोट:- 1. वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इसलिए, अवधि 2012-13 से 2015-16 के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

## परिशिष्ट- 1.7

(संदर्भ: कंडिका-1.8.4.1: पृष्ठ 24)

दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना के ऋण और ब्याज के साथ किश्त की वसूली के विवरण

(₹ लाख में)

ऋण का उद्योग	वर्ष	राशि	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	वसूली योग राशि 31.03.2017		31.03.2017 तक की गई वसूली		31.03.2017 बकाया राशि		
				मुलधन	ब्याज	मुलधन	ब्याज	मुलधन	ब्याज	कुल
निर्माण	2005-06	500.00	8.00	125.00	75.00	0.00	0.00	125.00	75.00	200.00
	2007-08	750.00	10.25	187.50	144.14	0.00	0.00	187.50	144.14	331.64
	2008-09	932.50	10.25	233.13	179.21	0.00	0.00	233.13	179.21	412.34
	<b>योग</b>	<b>2,182.50</b>								
कार्यशील पूँजी	2010-11	911.36	10.50	911.36	47.38	911.36	22.19	0.00	25.19	25.19
	2011-12	1,250.00	10.50	1,250.00	145.42	1,250.00	100.00	0.00	45.42	45.42
	2012-13	2,000.00	10.50	2,000.00	138.01	2,000.00	132.56	0.00	5.45	5.45
	2013-14	900.00	10.50	900.00	128.27	900.00	0.00	0.00	128.27	128.27
	2014-15	900.00	9.50	900.00	133.75	200.00	0.00	700.00	133.75	833.75
	2015-16	900.00	9.50	900.00	75.90	0.00	0.00	900.00	75.90	975.90
	2016-17	1,000.00	9.50	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>7,861.36</b>								
<b>महायोग</b>		<b>10,043.86</b>		<b>7,406.99</b>	<b>1,067.08</b>	<b>5,261.36</b>	<b>254.75</b>	<b>2,145.63</b>	<b>812.33</b>	<b>2,957.96</b>

परिशिष्ट- 1.8  
(संदर्भ: कंडिका-1.8.5.1: पृष्ठ 25)  
रिजर्व बैंक में जमा कुल विसंगतियों का सारांश

(₹ में)

क्र. सं.	माह/वर्ष	31.03.2017 की स्थिति में				31.03.2017 की स्थिति में 31.12.2017 तक लंबित			
		डेबिट		क्रेडिट		डेबिट		क्रेडिट	
		मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1	नवम्बर-11	0	0.00	1	3,925.00	0	0.00	1	3,925.00
2	मार्च-12	1	8,06,739.37	0	0.00	1	8,06,739.37	0	0.00
3	अप्रैल-12	1	78,105.20	0	0.00	1	78,105.20	0	0.00
4	मई-12	1	46,639.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	नवम्बर-13	1	3,63,563.00	0	0.00	1	3,63,563.00	0	0.00
6	जून-14	0	0.00	2	120.00	0	0.00	2	120.00
7	जनवरी-15	0	0.00	1	4,00,000.00	0	0.00	1	4,00,000.00
8	फरवरी-15	2	12,35,577.00	1	9,96,000.00	1	12,35,527.00	1	9,96,000.00
9	मार्च-15	1	13,06,770.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	अप्रैल-15	1	2,217.00	0	0.00	1	2,217.00	0	0.00
11	मई-15	1	31,098.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	अगस्त-15	1	15,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	सितम्बर-15	1	87,185.00	1	46,75,050.00	0	0.00	0	0.00
14	नवम्बर-15	0	0.00	1	3,310.00	0	0.00	0	0.00
15	दिसम्बर-15	1	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	फरवरी-16	3	59,91,978.00	1	10.00	2	59,91,958.00	1	10.00
17	मार्च-16	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	मई-16	2	1.40	3	4,59,465.00	2	1.40	1	4,59,454.00
19	जून-16	0	0.00	2	100.50	0	0.00	1	0.50
20	जुलाई-16	1	19,329.00	1	27,000.00	1	19,329.00	0	0.00
21	अगस्त-16	0	0.00	1	24.00	0	0.00	0	0.00
22	सितम्बर-16	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	अक्टूबर-16	0	0.00	1	1.00	0	0.00	1	1.00
24	नवम्बर-16	0	0.00	1	21.00	0	0.00	0	0.00
25	दिसम्बर-16	0	0.00	3	3,25,028.00	0	0.00	1	5,651.00
26	जनवरी-17	12	241,48,70,921.00	24	20,17,39,316.00	1	1,11,856.00	0	0.00
27	फरवरी-17	10	74,37,535.00	24	2,66,20,85,984.00	1	7,53,874.00	1	10.00
28	मार्च-17	17	1,56,57,272.00	30	14,97,34,678.00	3	22,63,249.00	1	2,659.00
<b>योग</b>		<b>59</b>	<b>244,79,50,062.67</b>	<b>98</b>	<b>3,02,04,50,032.50</b>	<b>15</b>	<b>1,16,26,418.97</b>	<b>12</b>	<b>18,67,830.50</b>
<b>कुल योग</b>		<b>57,24,99,969.83</b>				<b>-98,05,226.17</b>			

महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार



## परिशिष्ट- 1.9

(संदर्भ: कंडिका- 1.9.6: पृष्ठ 29)

## अधोसंरचना विकास उपकर, अधोसंरचना विकास निधि एवं आरक्षित निधि में स्थानांतरण का वर्षवार संग्रह

(₹ लाख में)

वर्ष	अधोसंरचना विकास उपकर का संग्रह (मुख्य शीर्ष-0029-103-0063)	अधोसंरचना विकास निधि में अधोसंरचना उपकर का स्थानांतरण (मुख्य शीर्ष-2029-797-6754)	अधोसंरचना विकास निधि से किया गया व्यय (मुख्य शीर्ष-2029-103-8911)	आरक्षित निधि में अधोसंरचना निधि का स्थानांतरण (मुख्य शीर्ष-8229-200-0026)	अधोसंरचना विकास उपकर का अधोसंरचना विकास निधि में संक्षिप्त स्थानांतरण
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	950.00	0.00	0.00	0.00	-950.00
2007-08	2,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
2008-09	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
2009-10	1,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
2010-11	5,467.37	0.00	0.00	0.00	-5,467.37
2011-12	5,877.08	0.00	0.00	0.00	-5,877.08
2012-13	6,332.24	0.00	0.00	0.00	-6,332.24
2013-14	7,272.62	10,735.95	200.00	10,735.95	3,463.33
2014-15	11,739.91	0.00	0.00	0.00	-11,739.91
2015-16	16,359.21	8,221.86	0.00	8,221.86	-8,137.35
2016-17	13,164.80	23,381.48	0.00	23,381.48	10,216.68
<b>योग</b>	<b>72,763.23</b>	<b>42,339.29</b>	<b>200.00</b>	<b>42,339.29</b>	<b>-30,423.94</b>

(स्रोत: भू-राजस्व विभाग)

## परिशिष्ट- 1.10

(संदर्भ: कंडिका- 1.9.6: पृष्ठ 29)

## अधोसंरचना विकास निधि की गैर उपयोगिता

(₹ लाख में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	योजना शीर्ष	बजट प्रावधान	अधोसंरचना विकास निधि से किया गया वास्तविक व्यय	अधोसंरचना विकास निधि में उपलब्ध राशि	अधोसंरचना विकास निधि में अप्रयुक्त राशि
2005-06 एवं 2012-13	2029	103	8911	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	2029	103	8911	4,500.00	0.00	10,735.95	10,735.95
2014-15	2029	103	8911	5,500.00	200.00	0.00	-200.00
2015-16	2029	103	8911	5,520.00	0.00	8,221.86	8,221.86
2016-17	2029	103	8911	5,520.00	0.00	23,381.48	23,381.48
<b>योग</b>				<b>21,040.00</b>	<b>200.00</b>	<b>42,339.29</b>	<b>42,139.29</b>

(स्रोत: भू-राजस्व विभाग)

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कांडिका-2.2.1, पृष्ठ 32)

अनुदानों/विनियोगों के अतर्गत अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिरेक
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 एवं 83	10.21
	2 विनियोग	6 एवं 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 एवं 83	115.90
	2 विनियोग	16 एवं 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 एवं 82	114.59
	2 विनियोग	20 एवं 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 एवं 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 एवं 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 एवं 39	23.27
	2 विनियोग	6 एवं 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 एवं 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23, 33 एवं 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 एवं 36	
2008-09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 एवं 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 एवं 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 एवं 67	
2010-11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75 82 एवं ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण, 1, 20, 23, 29 एवं 36	
2011-12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 एवं 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 एवं 45	0.96
	2 विनियोग	6 एवं 55	
2013-14	3 अनुदान	06, 12 एवं 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 एवं 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 एवं 80	833.54
	2 विनियोग	06 एवं लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6, 12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 एवं ब्याज भुगतान	
<b>योग</b>			<b>3,245.17</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2000-01 से 2015-16)

**परिशिष्ट 2.2**  
(संदर्भ: कंडिका-2.2.3, पृष्ठ 35)  
**योजनायें जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए**

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अतिरेक
1	2	3	4	5	6
1	प्रभार-1	2049-01-101-7804-8.53 छ.ग. राज्य विकास ऋण 2026	0.00	59.71	59.71
2		2049701-101-7805-8.08 छ.ग. राज्य विकास ऋण 2026	0.00	36.36	36.36
3		2049-01-123-4854-केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज	540.00	614.82	74.82
4		2049-03-104-403-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	4.00	48.47	44.47
5		2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	280.00	319.73	39.73
6	प्रभार-2	6003-111-5670-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	270.00	420.53	150.53
7	8	2711-01-103-8910-पर्यावरण निधि से व्यय	2.40	12.90	10.50
8	12	4810-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायक अनुदान	15.00	65.79	50.79
9	13	2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	14.79	40.52	25.73
10		2401-110-0101-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	103.10	134.85	31.75
11	19	2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.06	47.01	22.95
12	20	4215-01-102-0311-7858-सौर उर्जा ग्रामीण पेयजल वितरण	0.00	30.76	30.76
13	21	4217-01-051-0101-7416-तेरहवां वित्त आयोग अनुदान	43.16	70.31	27.15
14	24	5054-05-337-0101-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	100.00	100.00
15	27	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	89.88	103.47	13.59
16	30	2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	430.84	571.99	141.15
17	41	2210-0-7796-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.54	44.54	20.00
18		2215-02-796-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	159.14	233.84	74.70
19		2401-796-110-0102-7797-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	11.25	30.99	19.74
20		2401-796-110-0102-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	76.00	105.85	29.85
21		4702-796-101-0102-3828-लघु सिंचाई योजना	225.00	281.49	56.49
22		4810-796-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायता अनुदान	14.00	40.00	26.00
23		42	5054-05-796-337-0102-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	15.00
24	58	2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता	1.00	35.54	34.54
25	58	2245-80-800-7408-राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दक्षता विकास	0.00	26.27	26.27
26	64	2202-02-789-106-0103-5904-पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	10.70	25.49	14.79
27		2215-02-789-107-0703-7610-स्वच्छ भारत अभियान	110.02	163.27	53.25
28		4700-02-789-800-0103-2898-बांध एवं संलग्न कार्य	30.00	40.08	10.08
29		4810-789-102-0410-7693-सौर पम्पों हेतु सहायता अनुदान	4.00	22.00	18.00
30		5054-05-789-337-0103-7818-अभियांत्रिकी खरीद निर्माण	0.00	10.00	10.00
31		79	4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	45.00	58.03
32	81	3604-191-4035-शुल्क, दंड एवं अन्य प्राप्तियों में आय की हानि को शासन में जमा करने हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	10.00	49.38	39.38
33		3604-193-8018-प्रवेश शुल्क के समतुल्य नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	160.73	180.73	20.00
<b>योग</b>			<b>2,702.61</b>	<b>4,044.72</b>	<b>1,347.11</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रावधान में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>					
1	4	गृह विभाग (अन्य व्यय)	32.35	16.63	51.41
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	1,743.99	32.85
3	10	वन	974.85	228.09	23.40
4	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	199.71	50.43	25.25
5	12	ऊर्जा विभाग	794.24	292.56	36.84
6	14	पशुपालन विभाग	419.34	113.26	27.01
7	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	152.46	44.74	29.35
8	18	श्रम	131.86	51.93	39.38
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.43	83.39	23.20
10	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	177.07	88.78	50.14
11	23	जल संसाधन विभाग	528.62	115.43	21.84
12	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	931.68	354.80	38.08
13	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	997.73	21.99
14	28	राज्य विधानमंडल	56.90	22.41	39.38
15	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	316.16	102.42	32.39
16	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	53.99	31.48	58.31
17	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	27.73
18	36	परिवहन	62.46	27.51	44.04
19	37	पर्यटन	40.23	17.38	43.20
20	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	21.63
21	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	2,807.58	27.47
22	43	खेल और युवक कल्याण	95.59	73.95	77.36
23	44	उच्च शिक्षा	662.63	222.87	33.63
24	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	175.41	34.07
25	49	अनुसूचित जाति कल्याण	40.25	12.07	29.99
26	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	33.35	19.19	57.54
27	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	132.77	36.95	27.83
28	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	318.72	33.05
29	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	794.37	22.65
30	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	236.80	35.70
31	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1146.83	417.45	36.40
32	71	इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	107.06	48.85	45.63
33	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	145.59	26.56
34	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	418.14	21.98
<b>योग - अ</b>			<b>37,808.88</b>	<b>10,589.47</b>	<b>28.01</b>
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>					
35	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	83.04	80.18	96.56
36	10	वन	24.58	21.65	88.08
37	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	135.42	27.67	20.43

1	2	3	4	5	6
38	12	ऊर्जा विभाग	811.04	339.31	41.84
39	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	74.4	47.06	63.25
40	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41.28	13.68	33.14
41	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	178.88	27.22
42	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	1,720.67	804.95	46.78
43	27	स्कूल शिक्षा	229.05	70.65	30.84
44	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	98.3
45	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	158.31	22.36
46	36	परिवहन	33.25	33.25	100
47	37	पर्यटन	48.49	21.88	45.12
48	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	44.93
49	40	आयाकट विभाग	28.5	10.91	38.28
50	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	575.76	20.64
51	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	574.36	49.68
52	44	उच्च शिक्षा	18.28	12.26	67.07
53	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	100.82	67.82	67.27
54	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	34.19	20.00	58.50
55	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	14.50	13.50	93.10
56	55	महिला एवं बाल कल्याण	62.52	13.85	22.15
57	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	492.52	37.18
58	65	विमानन विभाग	46.00	35.17	76.46
59	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	19.93	14.52	72.85
60	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	251.27	39.03
61	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1100	393.95	35.81
62	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	371.92	230	61.84
63	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	397.47	109.37	27.52
64	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	184.08	78.13
<b>योग - ब</b>			<b>12,990.84</b>	<b>4,854.62</b>	<b>37.37</b>
<b>स- राजस्व भारत</b>					
65	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	53.36	15 <sup>२</sup> 26	28 <sup>२</sup> 60
66	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69.00	39 <sup>३</sup> 38	57 <sup>०</sup> 7
<b>योग - स</b>			<b>122.36</b>	<b>54.64</b>	<b>44.66</b>
<b>द- पूंजीगत भारत</b>					
67	प्रभार-1	लोक ऋण	1,946.33	793.7	40.78
<b>योग - द</b>			<b>1,946.33</b>	<b>793.70</b>	<b>40.78</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स+द)</b>			<b>5,९868.41</b>	<b>16,292.43</b>	<b>30.82</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष के दौरान ₹20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का अनुदान-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>						
1	3	पुलिस	3,321.91	2,733.91	588.00	17.70
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	3,565.28	1,743.99	32.85
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,005.11	809.46	195.65	19.47
4	10	वन	974.85	746.76	228.09	23.40
5	12	ऊर्जा विभाग	794.24	501.68	292.56	36.83
6	13	कृषि	1,266.78	1,072.30	194.48	15.35
7	14	पशुपालन विभाग	419.34	306.09	113.26	27.01
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,707.24	1,418.87	288.37	16.89
9	23	जल संसाधन विभाग	528.62	413.19	115.43	21.84
10	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	931.68	576.88	354.80	38.08
11	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	3,539.55	997.73	21.99
12	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	316.16	213.74	102.42	32.39
13	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,412.73	2,743.57	669.16	19.61
14	33	आदिम जाति कल्याण	1,960.04	1,586.39	373.65	19.06
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	1,654.60	456.75	21.63
16	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	7,414.71	2,807.58	27.47
17	44	उच्च शिक्षा	662.63	439.76	222.87	33.63
18	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	339.47	175.41	34.07
19	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	645.59	318.72	33.05
20	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	2,712.31	794.37	22.65
21	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	426.57	236.80	35.70
22	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1,146.83	729.38	417.45	36.40
23	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	402.64	145.59	26.56
24	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	1,484.54	418.14	21.98
<b>योग</b>			<b>48,728.50</b>	<b>36,477.23</b>	<b>12,251.27</b>	<b>25.14</b>
<b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b>						
25	12	ऊर्जा विभाग	811.04	471.74	339.31	41.84
26	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	478.33	178.88	27.22
27	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	1,720.67	915.71	804.95	46.78
28	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	549.68	158.31	22.36
29	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	2,213.86	575.76	20.64
30	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	581.87	574.36	49.68
31	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	832.06	492.52	37.18
32	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	392.44	251.27	39.03
33	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1,100.00	706.05	393.95	35.81
34	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	371.92	141.92	230.00	61.84
35	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	397.47	288.10	109.37	27.52
36	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	51.52	184.08	78.13
<b>योग-ब</b>			<b>11,916.04</b>	<b>7,623.29</b>	<b>4,292.76</b>	<b>36.03</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
37	प्रभार-2	लोक ऋण	1,946.33	1,152.63	793.70	40.78
<b>योग- स</b>			<b>1,946.33</b>	<b>1,152.63</b>	<b>793.70</b>	<b>40.78</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>			<b>62,590.87</b>	<b>45,253.15</b>	<b>17,337.73</b>	<b>27.70</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष के दौरान योजना-वार ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	मांग संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल बचत
1	3	2055-003-0195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	55.22	35.12	20.10
2		2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,049.38	854.67	194.71
3		2055-104-0701-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजनाएँ	25.00	0.00	25.00
4		2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,659.66	1427.30	232.36
5		2055-800-7506-नक्सल क्षेत्र में नविन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण	22.39	0.00	22.39
6	6	2071-01-101-2413-निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3,450.00	1,895.96	1,554.04
7		2071-01-104-4590-सेवा एवं मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति अनुदान	500.00	399.42	100.58
8	7	2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन	60.21	35.09	25.12
9	10	2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मण्डल	378.30	305.05	73.25
10		2406-01-203-535-ईमारती लकड़ी	93.83	54.38	39.45
11		2406-04-101-0701-7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	50.22	25.23	24.99
12	21	4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	147.47	127.47	20.00
13	29	4059-01-051-0101-2450-न्याय प्रशासन	22.51	0.69	21.82
14	39	2408-01-102-3248-राज्य सहकारी विपणन संघ की खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	481.60	461.60	20.00
15		2408-01-102-0701-7801-मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	27.00	0.00	27.00
16		2408-01-102-0101-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,162.00	774.45	387.55
17	41	2408-01-796-102-0102-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,703.00	1,018.27	684.73
18		2408-01-796-102-0102-7436-अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना का प्रदाय मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	270.00	167.50	102.50
19	64	2408-01-789-102-0103-6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	459.00	309.78	149.22
20	67	2059-80-001-2418-निष्पादन	224.54	173.34	51.20
21		2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	107.99	78.54	29.45
22	79	2210-04-101-460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	92.28	69.61	22.67
23	81	3604-191-4035-विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियाँ	20.00	7.52	39.38
24	82	2202-01-796-196-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	152.86	105.92	46.94
25		2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	395.80	315.27	80.53
<b>योग</b>			<b>12,637.16</b>	<b>8,642.18</b>	<b>3,994.98</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.5, पृष्ठ 36)

अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सत्त बचत की सूची

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>राजस्व दत्तमत</b>							
			24.12	27.98	25.96	17.30	30.68
1	1	सामान्य प्रशासन	21.59	21.89	15.69	11.22	17.61
2	3	पुलिस	108.34	133.44	84.74	113.20	588.00
			6.08	6.07	3.56	4.29	17.70
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग	37.51	14.57	21.81	42.77	69.96
			20.93	9.07	11.64	17.04	19.49
4	8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	158.61	126.00	176.70	113.08	195.65
			38.05	22.20	32.46	16.89	19.47
5	10	वन	73.41	73.09	57.65	105.70	228.09
			10.93	9.98	7.34	11.62	23.40
6	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	13.98	26.12	15.69	21.16	50.43
			15.81	23.53	14.31	13.76	25.25
7	13	कृषि	57.42	173.70	204.27	265.22	194.48
			8.54	23.94	10.40	25.98	15.35
8	14	पशुपालन विभाग	26.36	70.54	61.21	51.25	113.26
			7.51	23.99	19.16	14.60	27.01
9	15	अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	23.30	26.43	112.34	75.36	44.74
			17.19	11.36	32.63	55.67	29.35
10	17	सहकारिता	49.40	31.85	36.99	44.82	41.23
			25.91	18.62	32.19	31.27	18.08
11	18	श्रम	25.87	33.64	60.55	43.61	51.93
			36.75	34.28	52.68	37.06	39.38
12	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89.83	89.30	241.13	189.76	288.37
			13.36	11.14	19.47	14.44	16.89
13	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	30.78	54.68	90.03	50.24	83.39
			10.26	16.89	19.21	12.80	23.20
14	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	58.64	43.07	44.96	114.49	88.78
			68.75	44.71	40.09	73.25	50.14
15	24	लोक निर्माण - सड़कें और पुल	21.23	128.26	222.76	314.73	354.80
			3.20	11.88	29.78	29.46	38.08
16	27	स्कूल शिक्षा	592.94	720.41	574.58	957.45	997.73
			22.36	24.88	18.38	24.41	21.99
17	28	राज्य विधान मंडल	12.87	11.63	10.72	16.85	22.41
			41.37	34.03	27.19	34.88	39.38
18	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.60	70.29	86.34	62.26	102.42
			24.32	26.35	28.74	22.71	32.39
19	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	65.21	211.47	748.51	1133.54	669.16
			13.19	27.17	33.30	46.97	19.61
20	36	परिवहन	15.18	16.90	17.13	24.90	27.51
			38.77	38.52	36.58	43.18	44.04



1	2	3	4	5	6	7	8
21	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10.77	215.60	665.56	1615.27	456.75
			1.05	6.04	30.60	30.31	21.63
22	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	629.07	1,072.97	2,393.70	3,146.19	2,807.58
			17.03	22.82	28.82	32.93	27.47
23	43	खेल और युवक कल्याण	32.96	40.50	43.23	73.79	73.95
			32.35	67.48	74.27	65.67	77.36
24	44	उच्च शिक्षा	146.54	140.49	186.97	132.05	222.87
			33.72	26.48	32.90	22.20	33.63
25	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	64.46	60.76	108.35	335.89	175.41
			38.87	32.47	37.88	56.73	34.07
26	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	10.50	24.61	13.50	26.47	36.95
			12.88	24.13	14.06	22.92	27.83
27	55	महिला एवं बाल विकास	156.44	115.87	229.20	286.11	318.72
			21.16	17.78	28.01	31.51	33.05
28	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत	137.61	204.78	116.51	1,853.80	81.94
			34.64	33.97	26.84	57.25	9.25
29	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	284.43	398.96	932.09	1,148.10	794.37
			23.49	26.98	30.94	34.79	22.65
30	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	19.39	14.57	48.05	60.12	42.22
			17.41	8.62	23.50	27.73	14.22
31	67	लोक निर्माण कार्य – भवन	25.91	16.19	71.96	126.10	236.80
			8.03	4.37	16.08	25.02	35.70
32	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण	228.93	347.11	454.03	345.55	417.45
			72.20	64.06	70.09	71.31	36.40
33	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	19.45	11.99	77.29	26.42	48.85
			29.23	20.67	53.05	19.78	45.63
34	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	56.11	8463	68.11	6600	145.59
			21.69	25.94	18.85	16.96	26.56
35	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	337.74	487.28	521.08	402.43	270.46
			12.52	16.08	14.00	11.50	7.06
36	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	106.88	87.43	257.01	301.30	615.88
			7.49	5.72	17.38	19.75	34.07
37	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	151.32	314.77	364.17	257.04	418.14
			11.24	19.24	16.95	18.41	21.98
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>							
38	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	17.59	44.72	20.42	72.94	43.40
			37.19	87.43	34.90	39.84	18.29
39	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	178.59	229.56	209.40	616.45	178.88
			48.99	81.17	60.34	66.96	27.22
40	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	73.63	16.37	78.01	678.76	804.95
			8.71	2.19	7.17	45.43	46.78
41	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	401.46	20.62	203.50	317.72	158.31
			79.81	5.28	26.65	32.04	22.36
42	37	पर्यटन	20.00	26.20	11.50	16.00	21.88
			71.43	85.62	63.89	100.00	45.12

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
43	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	76.50	48.33	46.31	15.56	17.99
			<i>11.95</i>	<i>7.58</i>	<i>82.11</i>	<i>29.04</i>	<i>44.93</i>
44	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	734.34	626.73	808.73	686.97	575.76
			<i>37.91</i>	<i>31.01</i>	<i>41.50</i>	<i>29.19</i>	<i>20.64</i>
45	42	जनजाति क्षेत्र उप योजना – सड़कें और पुल	234.80	185.03	81.59	372.00	574.36
			<i>51.05</i>	<i>40.78</i>	<i>19.48</i>	<i>47.59</i>	<i>49.68</i>
46	45	लघु सिंचाई कार्य	102.59	125.02	95.39	96.52	94.59
			<i>17.03</i>	<i>19.84</i>	<i>21.14</i>	<i>19.83</i>	<i>18.50</i>
47	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	21.72	37.21	36.47	61.28	67.82
			<i>86.95</i>	<i>89.66</i>	<i>53.16</i>	<i>64.54</i>	<i>67.27</i>
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	314.76	296.27	218.11	470.44	492.52
			<i>29.02</i>	<i>30.63</i>	<i>25.37</i>	<i>40.62</i>	<i>37.18</i>
49	67	लोक निर्माण कार्य – भवन	149.14	124.31	56.81	125.66	251.27
			<i>42.88</i>	<i>31.30</i>	<i>15.21</i>	<i>20.65</i>	<i>39.03</i>
50	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य – भवन	74.24	67.02	46.83	20.87	36.35
			<i>40.71</i>	<i>36.29</i>	<i>20.21</i>	<i>10.15</i>	<i>15.17</i>
51	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	21.91	27.81	10.15	86.20	27.14
			<i>65.89</i>	<i>76.82</i>	<i>24.76</i>	<i>61.88</i>	<i>19.68</i>
<b>राजस्व भारत</b>							
52	29	न्याय प्रशासन एव निर्वाचन	12.49	12.03	13.02	11.82	15.26
			<i>37.33</i>	<i>32.42</i>	<i>31.51</i>	<i>24.66</i>	<i>28.60</i>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-13 से 2016-17)

## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.6, पृष्ठ 36)

योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5
1	8	3054-04-337-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	11.00	11.00
2		4059-01-051-6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	12.00	12.00
3		4059-80-052-0101-7787-ई-धरती	22.66	22.66
4		4515-196-0510-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय	43.20	43.20
5	10	4406-01-101-0701-5538-एकीकृत वन सुरक्षा योजना	18.00	18.00
6	11	2852-80-102-0101-7785-पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	15.00	15.00
7		2852-80-102-0101-8890-खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	14.00	14.00
8		4851-101-0101-5586-निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता	10.00	10.00
9	12	2801-80-101-0101-7758-उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	217.53	217.53
10		4801-06-190-0701-7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना	15.00	15.00
11		6801-190-0101-7498- विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी- पूँजीगत व्यय	300.00	300.00
12	14	2403-101-0101-7403-कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	21.58	21.58
13	21	2216-02-190-0101-7444-विकास नगर योजना	35.00	35.00
14		5054-03-337-0101-1826- डामरीकरण	14.00	14.00
15		5054-05-337-0101-7733-वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	100.00	100.00
16	25	6853-01-190-0420-7796- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी क्रियाकलाप	50.09	50.09
17	27	2202-01-053-9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	105.00	105.00
18		4202-01-202-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	58.34	58.34
19	30	4515-102-0801-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन ईकाई	20.00	20.00
20		5054-04-101-0101-4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गों पर पुलों का निर्माण	18.00	18.00
21	31	3454-02-111-0701-7413-राज्य सांख्यिकी योजना का सुदृढीकरण	14.27	14.27
22	36	5055-050-0801-7750- ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	14.40	14.40
23	41	2202-03-796-001-0702-8971- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना	39.96	39.96
24		2235-02-796-102-0702-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	30.00	30.00
25		2801-80-796-101-0102-7758- उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान	165.32	165.32
26		4202-01-796-202-0702-8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना	12.00	12.00
27		4210-01-796-110-0702-8940- चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, सरगुजा	29.50	29.50
28		4702-796-101-0702-684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00	15.00
29		5054-04-796-101-0102-4871- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गों पर पुलों का निर्माण	18.00	18.00
30		5054-04-796-337-0102-4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	30.00

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5
31	42	5054-05-796-337-0102-7733- वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	15.00	15.00
32	43	2204-103-0101-8923-मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना	10.00	10.00
33		2204-104-0701-7641-राजीव गांधी खेल अभियान	15.00	15.00
34		2204-104-0101-7473- 37 <sup>वाँ</sup> राष्ट्रीय खेल	41.00	41.00
35	44	4202-01-203- 0101-7751- स्वामी विविकानंद ज्ञानदीप योजना	10.00	10.00
36	45	4702-101-0701-7684- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00	15.00
37	47	2203-001-0701-8971- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.00	13.00
38		2230-03-003-0801-7438- राज्य कौशल विकास अभियान	34.00	34.00
39	53	4217-60-789-191-1103-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	20.00	20.00
40	55	2235-02-102-0701-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	30.00	30.00
41		2235-02-103-0101-8957-नोनी सुरक्षा योजना	30.00	30.00
42	58	2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	20.00	20.00
43		2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	11.00	11.00
44		2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत	10.00	10.00
45	64	2202-03-789-001-0703-8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.32	13.32
46		2235-02-789-102-0703-7423-इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	10.00	10.00
47		2801-80-789-101-0103-7758-“उदय” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	52.21	52.21
48		4801-06-789-190-0703-7655-एकीकृत विद्युत विकास योजना	11.00	11.00
49		5054-05-789-337-0103-7733-वार्षिकी के अंतर्गत सड़क निर्माण	10.00	10.00
50	67	4210-03-105-0101-2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	10.15	10.15
51	79	2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00	10.00
<b>योग</b>			<b>1,859.53</b>	<b>1,859.53</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7 (अ), पृष्ठ 36)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान,  
जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ-राजस्व दत्तमद</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	158.10	143.59	14.51	16.18
2	3	पुलिस	3,290.12	2,731.14	558.98	31.79
3	6	वित्त विभाग	5,301.27	3,565.29	1,735.98	7.99
4	10	वन	950.66	730.68	219.98	1.32
5	11	वाणिज्य एवं उद्योग	197.58	149.27	48.31	2.12
6	12	उर्जा विभाग	649.24	501.68	147.56	145.00
7	13	कृषि	1,217.45	1072.28	145.17	49.35
8	14	पशुपालन विभाग	416.59	306.10	110.49	2.76
9	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	115.05	107.71	7.34	37.42
10	16	मत्स्य	51.95	47.44	4.51	2.71
11	17	सहकारिता	191.07	186.84	4.23	37.00
12	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,642.75	1,418.83	223.92	64.50
13	26	संस्कृति विभाग	36.06	33.58	2.48	3.50
14	27	स्कूल शिक्षा	4,307.78	3,539.56	768.22	229.51
15	28	राज्य विधान मंडल	53.56	34.49	19.07	3.36
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	311.73	191.34	120.39	4.42
17	33	आदिवासी कल्याण	1,953.70	1,586.39	367.31	6.35
18	37	पर्यटन	33.85	22.86	10.99	6.38
19	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2,070.90	1,654.59	416.31	40.45
20	41	जनजाति क्षेत्र उप योजना	9,247.92	7,409.94	1,837.98	969.12
21	44	उच्च शिक्षा	654.88	439.76	215.12	7.75
22	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	464.96	339.47	125.49	49.95
23	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	26.87	14.16	12.71	6.48
24	55	महिला एवं बाल कल्याण	943.78	645.60	298.18	20.55
25	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,053.89	2,710.72	343.17	451.06
26	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	275.61	254.61	21.00	21.22
27	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण	819.84	729.37	90.47	327.00
28	71	सूचना तकनीकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	101.06	58.21	42.85	6.00
29	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,581.03	1,484.55	96.48	321.65
30	83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	41.71	37.66	4.05	5.37
<b>योग-अ</b>			<b>40,160.96</b>	<b>32,147.71</b>	<b>8,013.25</b>	<b>2,878.26</b>

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
<b>ब- पूँजीगत दत्तमत</b>						
31	3	पुलिस	28.78	28.72	0.06	7.12
32	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	544.05	443.33	100.72	43.16
33	24	लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	1,692.67	915.71	776.96	28.00
34	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	703.41	549.67	153.74	4.58
35	37	पर्यटन	33.50	26.62	6.88	14.99
36	47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	97.77	33.01	64.76	3.06
37	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	12,490.04	832.06	11,657.98	67.75
38	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	498.71	392.47	106.24	24.66
39	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	362.00	141.92	220.08	9.92
40	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	220.97	215.60	5.37	100.00
<b>योग-ब</b>			<b>16,671.90</b>	<b>3,579.11</b>	<b>13,092.79</b>	<b>303.24</b>
<b>योग-(अ+ब)</b>			<b>56,832.86</b>	<b>35,726.82</b>	<b>21,106.04</b>	<b>3,181.50</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7(ब), पृष्ठ 36)

**अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मुल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत
<b>अ-राजस्व दत्तमत</b>							
1	7	वाणिज्यिक कर विभाग	275.47	83.43	358.90	288.94	69.96
2	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	798.34	206.79	1005.13	809.45	195.68
3	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,569.61	843.11	3,412.72	2,743.57	669.15
4	32	जनसंपर्क विभाग	113.49	35.29	148.78	141.64	7.14
5	80	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3,517.00	315.33	3,832.33	3,505.47	326.86
6	81	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय सहायता	1,591.03	216.57	1,807.60	1,745.98	61.62
<b>योग-अ</b>			<b>9,115.38</b>	<b>1,988.90</b>	<b>11,104.28</b>	<b>9,824.28</b>	<b>1,280.00</b>
<b>ब- पूँजीगत दत्तमत</b>							
7	12	ऊर्जा विभाग	739.11	71.93	811.04	471.74	339.30
8	27	स्कूल शिक्षा	87.05	142.00	229.05	158.41	70.64
9	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,204.82	584.80	2,789.62	2,213.86	575.76
10	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	92.58	45.25	137.83	110.69	27.14
<b>योग-ब</b>			<b>3,123.56</b>	<b>843.98</b>	<b>3,967.54</b>	<b>2,691.44</b>	<b>1,276.10</b>
<b>योग-(अ+ब)</b>			<b>12,238.94</b>	<b>2,832.88</b>	<b>15,071.82</b>	<b>12,515.72</b>	<b>2,556.10</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (अ), पृष्ठ 36)

## उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	मुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	4	5	6	7	8
1	3	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,028.78	854.67	174.11	21.79
2	6	2054-097-1026-कोषालय स्थापना	37.69	25.40	12.29	1.13
3		2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम	1.50	0.50	1.00	1.00
4	7	2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	14.88	10.85	4.03	4.93
5	8	2053-093-1510-जिला स्थापना	247.94	204.95	42.99	2.25
6	19	2210-01-196-0101-1473-जिला चिकित्सालय	85.99	60.86	25.13	1.80
7	27	2202-01-111-0701-5396-सर्व शिक्षा अभियान	1,100.00	925.28	174.72	150.00
8		2202-01-112-0701-5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	73.24	71.37	1.87	11.71
9	28	2011-02-101-4007-विधान सभा	30.80	22.38	8.42	3.36
10	29	2014-102-573-उच्च न्यायालय	50.26	37.08	13.18	1.10
11	39	6408-02-190-0311-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	20.43	19.56	0.87	11.11
12	41	2202-01-796-109-0702-8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना	124.00	51.64	72.36	5.75
13		2202-01-796-111-0702-5396-सर्व शिक्षा अभियान	836.00	647.17	188.83	114.00
14		2202-03-796-103-0102-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	72.10	58.46	13.64	5.00
15		2210-01-796-196-0102-1473-जिला चिकित्सालय	55.79	40.55	15.24	1.80
16		2236-02-796-101-0102-7747-महतारी जतन योजना	9.50	8.65	0.85	5.36
17		2236-02-796-101-0102-7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना	9.50	5.15	4.35	3.72
18		2501-06-796-102-0702-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान	76.00	72.49	3.51	9.88
19		4202-02-796-103-0702-7438-राज्य कौशल विकास अभियान	4.12	2.71	1.41	5.60
20		6408-02-796-190-0312-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	15.53	14.86	0.67	8.45
21	44	2202-03-103-0101-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	89.76	81.92	7.84	7.00
22	53	2217-05-789-193-1103-7260-नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	4.82	1.93	2.89	2.95
23		2853-02-789-800-0103-7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अंतरण	4.00	3.74	0.26	3.53
24	55	2236-02-101-0101-7747-महतारी जतन योजना	12.50	11.60	0.90	7.05
25		2236-02-101-0101-7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना	12.50	6.01	6.49	4.90
26		2236-02-101-0101-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम - विशेष पोषण आहार योजना	22.90	16.66	6.24	1.13

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	4	5	6	7	8
27	64	2202-01-789-111-0703-5396-सर्व शिक्षा अभियान	264.00	234.78	29.22	36.00
28		2202-02-789-109-0103-3673-राज्य छात्रवृत्ति	74.20	55.99	18.21	10.00
29		2202-03-789-103-0103-798- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	32.67	27.20	5.47	2.00
30		2225-01-789-102-0603-7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	19.90	9.02	10.88	2.67
31		2236-02-789-101-0103-7747- महतारी जतन योजना	3.00	2.62	0.38	1.69
32		2236-02-789-101-0103-7765- मुख्यमंत्री अमृत योजना	3.00	1.03	1.97	1.18
33	66	2202-02-109-0101-5551-हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	6.00	4.40	1.60	7.99
34	67	4059-01-051-0801-5558-उपभोक्ता मंच भवनों का निर्माण	2.00	0.00	2.00	2.00
35		4216-01-106-0101-5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	2.00	0.93	1.07	1.00
36	80	2202-02-196-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	185.00	156.96	28.04	5.46
37	81	2202-01-192-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	42.52	41.46	1.06	8.25
38		2217-05-191-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	21.47	8.59	12.88	4.00
39		2217-05-192-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	7.72	3.09	4.63	6.12
40		2217-05-193-1101-7260-नगरीय निकायों के बुनियादी सेवायें हेतु अनुदान	6.95	2.78	4.17	5.59
41		4217-60-191-1101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	150.20	142.39	7.81	60.00
42		4217-60-192-1101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	50.77	47.21	3.56	34.00
43	82	2202-01-796-197-0702-5169-विद्यालय में मध्यान्न भोजन कार्यक्रम	130.00	122.90	7.10	5.16
44		2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	390.00	315.27	74.73	31.10
<b>योग</b>			<b>5,436.93</b>	<b>4,439.06</b>	<b>1,005.87</b>	<b>628.51</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)



## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8(ब), पृष्ठ 37)

## अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	योजना का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
1	01	2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैकैकिक अनुदान	13.25	24.98	11.73	14.25
2	03	2055-001-7811-डायल 100/112	0.00	0.10	0.10	10.00
3	08	2029-103-1472-जिला प्रभार	207.97	210.15	2.18	5.00
4		2029-103-0701-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	3.56	3.56	5.25
5	13	2401-800-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा	0.00	1.07	1.07	4.00
6	15	2853-02-789-800-0103-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	53.50	53.71	0.21	37.00
7	17	2425-107-0101-5628-कृषक ऋण ब्याज दर के युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान	70.00	88.14	18.14	37.00
8	19	2210-06-101-0701-5026-छत्तीसगढ़ राज्य रोग सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	12.50	18.75	6.25	7.50
9	24	5054-04-337-0101-1826-डामरीकरण	0.00	2.02	2.02	14.00
10	27	2202-02-109-0101-5551-हाई स्कूल छात्राओं के लिए निःशुल्क सायकल वितरण	18.00	36.13	18.13	22.00
11		2202-02-109-0101-7367-मॉडल स्कूल योजना	5.76	8.28	2.52	15.00
12		4202-01-201-0101-9005-इमारतों का अनुरक्षण-लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	0.00	133.97	133.97	135.00
13	30	2216-03-105-0701-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना	0.00	432.18	432.18	582.56
14		2501-06-102-0701-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान	100.00	112.17	12.17	14.67
15	32	2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन	39.24	50.00	10.76	13.15
16		2220-60-106-1479-जिला प्रसार एवं चल ईकाई की स्थापना	18.84	25.66	6.82	9.00
17	37	3452-80-001-0101-7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	3.35	8.73	5.38	638
18		5452-01-101-0701-7009-पर्यटन केन्द्रों का विकास	7.00	19.99	12.99	14.99
19	39	2408-01-003-0701-8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.99	2.11	1.12	3.10
20	41	2202-02-796-109-0102-5551-हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण	25.00	44.54	19.54	28.00
21		2202-02-796-109-0102-7367-मॉडल स्कूल योजना	0.00	6.00	6.00	11.00
22		2202-02-796-109-0102-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	0.01	8.98	8.97	11.22
23		2210-06-796-101-0702-5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	9.50	14.05	4.55	5.70
24		2216-03-796-105-0702-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना	0.00	496.94	496.94	572.39

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
25	41	2236-02-796-101-0702-7361-सबला योजना	58.80	63.01	4.21	5.88
26		2401-796-119-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.84	7.23	0.39	3.23
27		2408-01-796-003-0702-8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण	0.75	1.60	0.85	2.36
28		4215-01-796-102-0312-7858-सौरऊर्जा ग्रामीण पेयजल वितरण	0.00	44.54	44.54	50.00
29		4225-02-796-102-0602-7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	37.95	66.45	28.50	59.97
30		4225-02-796-102-0802-7672-वन बंधु कल्याण योजना	5.00	8.57	3.57	10.73
31		5054-04-796-337-0312-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	35.00	58.68	23.68	25.00
32	47	2203-001-0101-7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	80.00	86.83	6.83	40.00
33		2203-112-0101-7341-आई.आई.आई.टी. की स्थापना	10.00	14.00	4.00	6.00
34		2230-03-003-0101-7700-केन्द्रीय प्लास्टिक यांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान	0.00	1.21	1.21	2.43
35	55	2236-02-101-0701-7361-सबला योजना	73.20	77.55	4.35	7.32
36	64	2202-02-789-109-0103-5551-हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	12.00	21.10	9.10	14.00
37		2202-02-789-109-0103-7367-मॉडल स्कूल योजना	0.00	2.62	2.62	4.00
38		2216-03-789-105-0703-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना	0.00	157.39	157.39	181.05
39		2236-02-789-101-0703-7361-सबला योजना	18.00	18.17	0.17	1.80
40		6408-02-789-190-0313-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	4.90	9.82	4.92	7.80
41	65	2052-091-4043-विमानन संचालनालय	25.47	28.67	3.20	5.00
42	66	2202-02-109-0801-8050-छात्रवृत्ति	19.00	29.23	10.23	12.23
43	69	2217-80-191-0101-7685-स्मार्ट सिटी	50.00	194.50	144.50	327.00
44	79	2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	0.00	1.05	1.05	5.25
45	80	2202-01-197-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	580.64	671.58	90.94	156.86
46		2202-01-197-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	355.00	377.91	22.91	73.63
47		2853-02-800-0101-6299-ग्रामीण क्षेत्र के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	135.85	169.72	33.87	78.90
48		4515-198-1101-8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास	52.00	60.28	8.28	9.92
49	81	3604-191-8018- प्रवेश कर से प्राप्त आगम के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	555.06	592.98	37.92	57.93
50	82	2202-01-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	558.89	659.24	100.35	239.16
51		2202-01-796-197-0702-6933-माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्न भोजन योजना	80.00	80.17	0.17	5.79
52		2853-02-796-800-0102-6299-ग्रामीण क्षेत्र के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	46.00	57.13	11.13	37.18
<b>योग</b>			<b>3,385.26</b>	<b>5,363.44</b>	<b>1,978.18</b>	<b>3,008.58</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

**परिशिष्ट 2.12**  
(संदर्भ: कडिका-2.2.8(स), पृष्ठ 37)  
**उपशीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पूनर्विनियोग	व्यय	अंतिम अतिरेक (+)/बचत(-)
1	2	4	5	6	7	8
1		2401-110-0101-8792-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	100.00	134.85	34.85	3.10
2		2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	40.52	40.52	14.79
3		2401-108-0701-7267-एन.एम.एस.ए. भूमि स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	8.74	11.78	3.04	2.03
4	13	2401-102-0701-7350-एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम	50.00	64.61	14.61	11.40
5	16	2405-101-0701-7814-नील क्रांति के अंतर्गत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	8.20	8.20	2.58
6	21	4217-01-051-0101-7416-तेरहवें वित्त आयोग अनुदान	0.01	70.31	70.30	43.15
7	27	2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिये)	89.82	103.47	13.65	0.06
8	29	2015-105-4311-संसदीय निर्वाचन प्रभार	0.77	4.88	4.11	2.92
9	30	2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	200.00	571.99	371.99	230.84
10		2215-02-796-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	152.00	233.84	81.84	7.14
11		2401-796-110-0102-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	30.99	30.99	11.25
12		2401-108-0701-7267-एन.एम.एस.ए. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	3.84	7.18	3.34	1.60
13	41	2405-796-101-0702-7814-नील क्रांति के अंतर्गत मत्स्य विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	5.32	5.32	3.29
14		2215-02-789-107-0703-7610-स्वच्छ भारत अभियान	48.00	163.27	115.27	62.02
15	64	2401-789-110-0103-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.00	10.00	10.00	3.55
16	67	4059-01-051-0101-5918-जिला प्रशासन विभाग	6.00	7.98	1.98	0.30
17	79	4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	5.00	58.03	53.03	40.00
18	81	3604-193-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	159.89	180.73	20.84	0.84
<b>योग</b>			<b>824.07</b>	<b>1,707.95</b>	<b>883.88</b>	<b>440.86</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9, पृष्ठ 37)

अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन  
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	व्यय	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- अत्याधिक</b>						
1	3	2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	55.02	0.20	35.12	-20.11
2	24	5054-03-337-0101-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	60.12	-55.58	21.86	17.32
3	27	2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	443.53	-85.22	386.14	27.83
4	33	2202-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	285.54	-93.12	238.46	46.04
5	82	2202-01-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	798.05	-192.05	659.24	53.23
<b>योग - अ</b>			<b>1,642.26</b>	<b>-425.77</b>	<b>1,340.82</b>	<b>124.31</b>
<b>ब- अनावश्यक</b>						
6	3	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1,650.66	9.00	1,427.30	-232.36
7	19	2210-03-198-0101-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.06	-0.25	47.01	23.21
8	21	4217-01-050-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	240.00	-189.54	223.05	172.58
9	24	3054-03-797- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि	150.00	-150.00	97.12	97.12
10	24	3054-80-001-2301-निदेशन एवं प्रशासन (मांग सं.-67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)	160.61	-160.61	104.01	104.01
11	64	2202-02-789-106-0103-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	10.70	-2.21	25.49	17.00
<b>योग-ब</b>			<b>2,236.03</b>	<b>-493.61</b>	<b>1,923.98</b>	<b>181.56</b>
<b>स- अपर्याप्त</b>						
12	3	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,050.57	-1.19	854.67	-194.70
13	3	2055-800-7506-नक्सल क्षेत्र में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण	25.00	-2.61	0.00	-22.39
14	8	2053-093-1510-जिला स्थापना	250.19	-27.22	204.95	-18.02
15	10	2406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मंडल	378.80	-0.49	305.05	-73.25
16	10	2406-01-203-535-इमारती लकड़ी	94.85	-1.02	54.38	-39.45
17	21	4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	269.00	-121.53	127.47	-20.00

1	2	3	4	5	6	7
18	30	2515-001-1033-विकास खण्ड कार्यालय	33.73	-0.96	19.51	-13.26
19		5054-04-337-0311-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	87.50	-0.33	68.68	-18.49
20	41	2210-03-796-198-0102-620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	24.54	-0.40	44.54	20.40
21	41	4215-01-796-102-0312-5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	45.12	-1.50	33.54	-10.09
22	41	5054-04-796-337-0312-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	66.50	-3.03	48.94	-14.53
23	55	2235-02-103-0101-8957-नोनी सुरक्षा योजना	30.00	-19.00	0.00	-11.00
24	64	2202-01-789-108-0103-5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	31.00	-9.50	4.50	-17.00
25	67	2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	108.39	-0.40	78.54	-29.45
26	82	2202-01-796-196-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	200.00	-47.14	105.92	-46.94
27	82	2202-02-796-197-0102-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	421.10	-25.30	315.27	-80.53
योग-स			3,116.29	-261.62	2,265.96	-588.70
महायोग (अ+ब+स)			6,994.58	-1,181.00	5,530.76	-282.83

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10, पृष्ठ 37)

वास्तविक बचत से अधिक सर्म्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	सर्म्पण	अधिक्य राशि का सर्म्पण
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- राजस्व दत्तमत</b>						
1	1	सामान्य प्रशासन	174.26	30.68	31.15	0.47
2	9	राजस्व विभाग	16.08	6.15	6.17	0.02
3	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	199.71	50.43	50.46	0.03
4	13	कृषि	1,266.78	194.48	194.61	0.13
5	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	152.46	44.74	44.83	0.09
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,707.24	288.37	314.22	25.85
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	359.43	83.39	86.48	3.09
8	22	नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय	28.97	5.65	5.76	0.11
9	23	जल संसाधन विभाग	528.62	115.43	115.49	0.06
10	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	931.68	354.80	556.10	201.30
11	25	खनिज साधन विभाग	204.88	12.12	12.32	0.20
12	27	स्कूल शिक्षा	4,537.28	997.73	1,033.07	35.34
13	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	53.99	31.48	31.52	0.04
14	33	आदिम जाति कल्याण	1,960.04	373.65	419.44	45.79
15	40	आयाकट विभाग	4.15	0.85	1.01	0.16
16	43	खेल और युवक कल्याण	95.59	73.95	73.99	0.04
17	44	उच्च शिक्षा	662.63	222.87	223.60	0.73
18	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	514.88	175.41	176.54	1.13
19	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग	1.87	0.00	0.60	0.60
20	55	महिला एवं बाल कल्याण	964.32	318.72	324.40	5.68
21	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	885.62	81.94	103.73	21.79
22	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,807.58	61.59	86.40	24.81
<b>योग- अ</b>			<b>17,058.06</b>	<b>3,524.43</b>	<b>3,891.89</b>	<b>367.46</b>
<b>ब- पूँजीगत दत्तमत</b>						
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	237.34	43.40	45.50	2.10
24	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	657.21	178.88	331.47	152.59
25	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	1,720.67	804.95	834.40	29.45
26	40	आयाकट विभाग	28.50	10.91	12.39	1.48
27	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,156.23	574.36	580.10	5.74
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	511.30	94.59	95.19	0.60
29	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	100.82	67.82	67.88	0.06
30	55	महिला एवं बाल कल्याण	62.52	13.85	15.23	1.38
31	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,324.58	492.52	504.97	12.45
32	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	643.71	251.27	263.02	11.75

1	2	3	4	5	6	7
33	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	239.65	36.35	37.26	0.91
<b>योग - ब</b>			<b>6,682.53</b>	<b>2,568.90</b>	<b>2,787.41</b>	<b>218.51</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
34	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	53.36	15.26	15.30	0.04
<b>योग-स</b>			<b>53.36</b>	<b>15.26</b>	<b>15.30</b>	<b>0.04</b>
<b>द- पूंजीगत भारित</b>						
35	23	जल संसाधन विभाग	0.25	0.11	0.12	0.01
36	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.20	3.65	3.70	0.05
<b>योग - द</b>			<b>9.45</b>	<b>3.76</b>	<b>3.82</b>	<b>0.06</b>
<b>महायोग (अ+ब+स+द)</b>			<b>23,803.40</b>	<b>6,112.35</b>	<b>6,698.42</b>	<b>586.07</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 37)

बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं कि गयी
<b>अ - राजस्व दत्तमत</b>						
1	16	मछली पालन	54.64	7.19	0	7.19
2	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	0	21.82
3	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	0	456.75
<b>योग- अ</b>			<b>2,244.69</b>	<b>485.76</b>	<b>0</b>	<b>485.76</b>
<b>ब - पूंजीगत दत्तमत</b>						
4	3	पुलिस	35.89	7.17	0	7.17
5	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	0	39.82
6	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	0	17.99
<b>योग- ब</b>			<b>116.44</b>	<b>64.98</b>	<b>0</b>	<b>64.98</b>
<b>स - राजस्व भारित</b>						
7	10	वन	23.13	2.04	0	2.04
8	12	ऊर्जा विभाग	257.75	16.86	0	16.86
9	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69	39.38	0	39.38
<b>योग- स</b>			<b>349.88</b>	<b>58.28</b>	<b>0</b>	<b>58.28</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>2,711.01</b>	<b>609.02</b>	<b>0</b>	<b>609.02</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 37)

समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं हुई
1	2	3	4	5	6	7
<b>अ- राजस्व दत्तमत</b>						
1	3	पुलिस	3,321.91	588.00	23.25	564.75
2	6	वित्त विभाग	5,309.27	1,743.99	88.05	1,655.94
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग	358.91	69.96	32.07	37.89
4	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,005.11	195.65	175.74	19.91
5	10	वन	974.85	228.09	26.29	201.80
6	12	ऊर्जा विभाग	794.24	292.56	290.06	2.50
7	16	मछली पालन	54.64	7.19	0.00	7.19
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	177.07	88.78	84.26	4.52
9	28	राज्य विधान मंडल	56.90	22.41	1.11	21.30
10	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,412.73	669.16	618.48	50.68
11	34	समाज कल्याण	78.70	21.82	0.00	21.82
12	36	परिवहन	62.46	27.51	21.79	5.72
13	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,111.35	456.75	0.00	456.75
14	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	10,222.29	2,807.58	1979.40	828.18
15	49	अनुसूचित जाति कल्याण	40.25	12.07	8.01	4.06
16	53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	33.35	19.19	18.18	1.01
17	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,506.69	794.37	603.03	191.34
18	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	296.82	42.22	38.93	3.29
19	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	663.36	236.80	147.62	89.18
20	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	1,146.83	417.45	415.35	2.10
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	548.23	145.59	93.56	52.03
22	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,833.14	270.46	261.03	9.43
23	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,902.68	418.14	352.96	65.18
24	83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	47.08	9.41	7.92	1.49
<b>योग-अ</b>			<b>39,958.86</b>	<b>9,585.15</b>	<b>5,287.09</b>	<b>4,298.06</b>
<b>ब - पूंजीगत दत्तमत</b>						
25	3	पुलिस	35.89	7.17	0.00	7.17
26	10	वन	24.58	21.65	20.22	1.43
27	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	74.40	47.06	45.05	2.01
28	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41.28	13.68	8.49	5.19
29	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	40.51	39.82	0.00	39.82
30	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	707.99	158.31	146.71	11.60



1	2	3	4	5	6	7
31	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	40.04	17.99	0.00	17.99
32	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	2,789.62	575.76	542.72	33.04
33	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	137.83	27.14	25.13	2.01
34	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	235.60	184.08	181.57	2.51
<b>योग- ब</b>			<b>4,127.74</b>	<b>1,092.66</b>	<b>969.89</b>	<b>122.77</b>
<b>स- राजस्व भारित</b>						
35	10	वन	23.13	2.04	0.00	2.04
36	12	ऊर्जा विभाग	257.75	16.86	0.00	16.86
37	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	69.00	39.38	0.00	39.38
<b>योग- स</b>			<b>349.88</b>	<b>58.28</b>	<b>0.00</b>	<b>58.28</b>
<b>महायोग (अ+ब+स)</b>			<b>44,436.48</b>	<b>10,736.09</b>	<b>6,256.98</b>	<b>4,479.11</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कंडिका-2.2.12, पृष्ठ 38)

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष का नाम	कुल व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय	मार्च 2017 में व्यय	व्यय की प्रतिशतता	
						अंतिम तिमाही	मार्च 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	99.28	86.45	59.59	51.89
2	2048	ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00
3	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.27	0.25	0.24	92.59	88.89
4	2203	तकनीकी शिक्षा	193.29	122.79	33.62	63.53	17.39
5	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यकों का कल्याण	196.36	107.64	76.15	54.82	38.78
6	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	9.41	7.64	1.14	81.19	12.11
7	2405	मीन उद्योग	74.44	37.43	24.74	50.28	33.23
8	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	16.96	16.96	11.70	100.00	68.99
9	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,715.95	944.74	451.61	55.06	26.32
10	2711	बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकास	12.90	12.90	0.00	100.00	0.00
11	2801	विद्युत	1,009.77	620.27	90.00	61.43	8.91
12	2810	नयी एवं नविकरणीय ऊर्जा	39.22	33.38	17.26	85.11	44.01
13	2853	अलौह धातु खनन एवं धातुभर्म उद्योग	477.60	294.17	128.53	61.59	26.91
14	2885	उद्योग एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	5.50	3.00	0.50	54.55	9.09
15	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.48	10.38	5.97	83.17	47.84
16	3452	पर्यटन	22.85	16.43	16.43	71.90	71.90
17	3604	स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	1,207.76	645.43	296.93	53.44	24.59
18	4055	पुलिस पर पूंजी परिव्यय	28.74	26.97	22.03	93.84	76.65

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	516.95	302.23	131.37	58.46	25.41
20	4215	जल पूर्ति और स्वच्छता पर पूँजी परिव्यय	334.13	205.93	144.59	61.63	43.27
21	4220	सूचना एवं प्रचार पर पूँजी परिव्यय	0.02	0.02	0.02	100.00	100.00
22	4225	अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों पर पूँजी परिव्यय	366.88	301.85	228.90	82.27	62.39
23	4235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय	77.07	50.80	43.42	65.91	56.34
24	4401	कृषि पर पूँजी परिव्यय	3.65	2.27	2.09	62.19	57.26
25	4402	भूमि एवं जल संरक्षण पर पूँजी परिव्यय	19.37	11.71	4.76	60.45	24.57
26	4406	वनिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय	16.79	13.14	8.43	78.26	50.21
27	4415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजी परिव्यय	1.00	0.50	0.00	50.00	0.00
28	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	820.02	538.01	420.00	65.61	51.22
29	4810	नयी एवं नविकरणीय उर्जा पर पूँजी परिव्यय	315.23	228.03	228.03	72.34	72.34
30	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजी परिव्यय	84.51	66.41	2.83	78.58	3.35
31	4853	अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग पर पूँजी परिव्यय	475.75	370.08	167.07	77.79	35.12
32	5053	नगर विमानन पर पूँजी परिव्यय	14.86	13.72	1.41	92.33	9.49
33	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	7.18	4.82	0.00	67.13	0.00
34	5452	पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	26.61	14.99	0.00	56.33	0.00
35	6215	जल पूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण	63.07	51.58	0.00	81.78	0.00
36	6217	नगरीय विकास के लिए ऋण	107.50	78.50	35.00	73.02	32.56
37	6425	सहकारिता के लिए ऋण	55.40	55.40	35.40	100.00	63.90
38	7810	अन्तरराज्यीय निपटारा	0.44	0.26	0.05	59.09	11.36
39	7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
<b>योग</b>			<b>8,756.54</b>	<b>5,569.91</b>	<b>2,776.67</b>	<b>63.61</b>	<b>31.71</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे 2016-17)

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 39)

## 31 मार्च 2017 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	विभाग नाम	कुल अनुदान भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
		संख्या	राशि	प्राप्त		अप्राप्त	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	राज्य मंत्रीमंडल	208	1,039.18	208	1,039.18	0	0.00
2013	मंत्री-परिषद	1,814	8,672.79	1,814	8,672.79	0	0.00
2014	न्याय प्रशासन	41	2,828.40	39	2,826.53	2	1.87
2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	12	534.55	12	534.55	0	0.00
2053	जिला प्रशासन	8	22.00	8	22.00	0	0.00
2055	पुलिस	228	14,448.18	228	14,448.18	0	0.00
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	178	59.30	178	59.30	0	0.00
2075	विविध सामान्य सेवाएं	12	19.70	12	19.70	0	0.00
2202	सामान्य शिक्षा	32,55					
		5	8,56,757.16	32,431	8,54,327.60	124	2,429.52
2203	तकनीकी शिक्षा	25	1,656.48	25	1,656.48	0	0.00
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,321	7,552.30	1,321	7,552.30	0	0.00
2205	कला एवं संस्कृति	653	790.17	651	780.71	2	9.46
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,726	92,990.75	1,724	92,990.28	2	0.47
2215	जलापूर्ति तथा सफाई	639	41,065.02	639	41,065.02	0	0.00
2216	आवास	740	32,752.18	739	32,751.99	1	0.19
2217	नगर विकास	849	3,29,766.67	500	1,58,459.92	349	1,71,306.75
2220	सूचना तथा प्रचार	73	99.90	73	99.90	0	0.00
2225	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	5,278	71,273.26	5,271	71,226.46	7	46.80
2230	श्रम तथा रोजगार	325	3,812.91	325	3,812.91	0	0.00
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14,87					
		3	1,25,140.58	14,757	1,24,254.52	116	886.06
2236	पोषण	3	14.10	2	5.10	1	9.00
2245	प्राकृतिक विपत्ति से राहत	3,765	7,302.71	3,666	7,029.63	99	273.07
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	79	2,280.49	77	1,933.49	2	347.00
2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	9	5.28	9	5.28	0	0.00
2401	फसल कृषि-कर्म	7,109	1,01,682.10	7,107	1,01,680.20	2	1.90
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	5	9.87	5	9.87	0	0.00
2403	पशुपालन	3,611	28,546.66	3,611	28,546.66	0	0.00
2405	मछली पालन	2,115	6,203.84	2,114	6,203.04	1	0.80
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	10	406.06	10	406.06	0	0.00
2408	खाद्य, भण्डारण तथा भंडारगार	206	3,62,639.46	206	3,62,639.46	0	0.00
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	74	38,891.80	69	34,083.80	5	4,808.00
2425	सहकारिता	60	15,266.27	60	15,266.27	0	0.00
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	4	1,137.80	4	1,137.80	0	0.00
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1011	16,830.58	1011	16,830.58	0	0.00
2505	ग्राम रोजगार	389	108,272.84	389	108,272.80	0	0.00
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4,646	3,87,311.79	4,620	3,81,029.50	26	6,282.27
2702	लघु सिंचाई	3,400	12,102.29	3,380	12,076.37	20	25.92
2801	बिजली	134	1,06,501.37	134	1,06,501.37	0	0.00
2810	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	96	25,014.50	96	25,014.50	0	0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	780	14,176.51	779	14,176.38	1	0.13
2852	उद्योग	95	5,750.27	94	4,949.64	1	800.63

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

1	2	3	4	5	6	7	8
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	163	19,490.12	160	18,700.39	3	789.73
2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	6	170.00	6	170.00	0	0.00
3054	सड़क तथा सेतु	15	44,047.00	15	44,047.00	0	0.00
3275	अन्य संचार सेवाएँ	50	16,514.16	50	16,514.16	0	0.00
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	85	4,578.06	85	4,578.06	0	0.00
3452	पर्यटन	74	22,930.85	74	22,930.85	0	0.00
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1	910.00	1	910.00	0	0.00
3604	स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	1,481	6,70,279.22	838	3,56,620.30	643	3,13,658.89
4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	7	6,216.42	7	6,216.42	0	0.00
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00
4225	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	308	4,239.39	308	4,239.39	0	0.00
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	100	10,387.85	100	10,387.85	0	0.00
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5	0.16	5	0.16	0	0.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7	3,027.03	7	3,027.03	0	0.00
5054	सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	3	4,412.10	3	4,412.10	0	0.00
	<b>योग</b>	<b>91,46</b>	<b>36,40,030.50</b>	<b>90,058</b>	<b>31,38,351.95</b>	<b>1407</b>	<b>5,01,678.46</b>

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट -3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 39)

वित्त आयोग के अनुपयोगी अनुदान की डी.डी.ओ. वार सूची की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	योजना	राशि	माह से शेष
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलरा पंचायत जशपुर	बारहवें वित्त आयोग	103.96	फरवरी 2016
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिल्हा	बारहवें वित्त आयोग	7.55	अगस्त 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	59.47	अगस्त 2016
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वमनार	तेरहवें वित्त आयोग	67.10	अगस्त 2016
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तिल्दा	तेरहवें वित्त आयोग	11.70	सितम्बर 2016
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर	ग्यारहवें वित्त आयोग	241.42	मार्च 2016
		बारहवें वित्त आयोग	278.90	मार्च 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	344.34	मार्च 2016
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहसपुर, लोहारा	बारहवें वित्त आयोग	4.32	सितम्बर 2016
		तेरहवें वित्त आयोग	73.05	नवम्बर 2016
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बरमकेला	तेरहवें वित्त आयोग	83.69	मार्च 2016
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी	दसवें वित्त आयोग	0.10	सितम्बर 2016
		ग्यारहवें वित्त आयोग	1.68	मार्च 2017
		बारहवें वित्त आयोग	2.30	मार्च 2017
		तेरहवें वित्त आयोग	57.03	मार्च 2017
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग	ग्यारहवें वित्त आयोग	5.15	मार्च 2016
		बारहवें वित्त आयोग	101.67	मार्च 2016
	<b>योग</b>		<b>1,443.43</b>	

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

## परिशिष्ट -3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 39)

## 31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया वि.आ. देयक की सूची

क्र. सं.	वर्ष	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	बिल संख्या	शेष राशि
1	2015-16	व्यापार एवं उद्योग विभाग	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग	2	90,00,000.00
2	2015-16		मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर	1	3,617.00
3	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर	1	50,000.00
4	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद	1	75,957.00
5	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदा बाजार	17	3,63,03,677.00
6	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा	1	24,33,221.00
7	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग	22	9,84,542.00
8	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबंद	14	1,52,56,183.00
9	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर	6	54,58,516.00
10	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कांकेर	3	36,941.00
11	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कवर्धा	1	11,34,925.00
12	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा	2	9,28,740.00
13	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुंद	3	79,99,329.00
14	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मुगेली	15	31,44,203.00
15	2016-17		मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर	4	68,61,665.00
16	2016-17		महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव	8	9,86,743.00
17	2016-17	ऊर्जा	मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर	14	16,12,00,000.00
<b>योग</b>				<b>115</b>	<b>25,18,58,259.00</b>

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी से प्राप्त सूचना)

## परिशिष्ट -3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 43)

## विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को विलम्ब से प्रस्तुति

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	विस्तृत आकस्मिक देयक के प्रस्तुतिकरण के विलम्ब की अवधि					
		1 से 6 माह		6 से 12 माह		एक वर्ष से अधिक	
		देयक संख्या	राशि	देयक संख्या	राशि	देयक संख्या	राशि
व्यापार एवं उद्योग	2014-15	122	10.53	00	00	00	00
	2015-16	338	34.99	01	0.05	18	3.39
	2016-17	334	23.74	35	8.67	00	00
<b>योग</b>		<b>794</b>	<b>69.26</b>	<b>36</b>	<b>8.72</b>	<b>18</b>	<b>3.39</b>
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता	2014-15	15	1,358.03	00	00	00	00
	2015-16	55	3,999.57	00	00	00	00
	2016-17	22	1,313.68	00	00	00	00
<b>योग</b>		<b>92</b>	<b>6,671.28</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
ऊर्जा	2014-15	08	326.79	00	00	00	00
	2015-16	42	1,242.65	01	40.88	00	00
	2016-17	21	205.90	00	00	00	00
<b>योग</b>		<b>71</b>	<b>1,775.34</b>	<b>01</b>	<b>40.88</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>महायोग</b>		<b>957</b>	<b>8,515.88</b>	<b>37</b>	<b>49.60</b>	<b>18</b>	<b>3.39</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

परिशिष्ट -3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	उच्चशिक्षा	14	12.93	2	0.62	1	0.00	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0	1	0	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	06	0.85	1	3.00	8	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	1	7.26	3	11.81	7	19.27
5	तकनीकी शिक्षा	4	0.00	1	1.91	6	50.16	11	52.07
6	ग्रामीण विकास	3	0.91	3	0.20	15	21.10	21	22.18
7	विक्रय पर व्यापार	1	0.02	0	0	0	0	1	0.02
8	महिला एवं सामाजिक विकास	0	0	0	0	2	1.00	2	1.00
9	शिक्षा	23	13.23	17	156.06	21	63.56	61	232.85
10	पुलिस	24	14.45	161	9.78	4	18.16	189	42.40
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	0.31	5	0.64	12	1.57	22	2.52
12	तहसील	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	राज्य आबकारी	0	0	1	2.37	0	0	1	2.37
14	पशुपालन	7	0.59	1	0.10	145	11.14	153	11.83
15	लोक सेवा आयोग	0	0	0	0	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	0	0	1	96.26	0	0	1	96.26
17	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0	2	2.28	4	5.78
18	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0	2	0.22
19	रेशम	1	0.10	0	0	1	0	2	0.10
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	4	0.11	3	10.20	2	0.18	9	10.48
21	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	0	0	3	0.63	12	3.64
22	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0	1	0.08	3	0.15	4	0.23
23	फसल कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	6	2.77	8	5.99
24	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	3	1.09	5	20.48	7	1.23	15	22.80
25	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	6	0.12	10	36.04	4	9.91	20	46.08
26	वन	1	0.08	0	0	938	992.72	939	992.80
27	लोक निर्माण	2	0.24	0	0	466	12,110.41	468	12,110.65
28	जन संसाधन विभाग	9	4.66	0	0	13	194.39	22	199.05
29	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0	0	0	1	0.05
30	कलेक्ट्रेट	0	0	1	0.08	1	0.30	2	0.38
31	उद्योग	0	0	0	0	1	0.04	1	0.04
32	शहरी विकास	0	0	1	0.15	0	0	1	0.15
33	खदान एवं धातुकर्म उद्योग	0	0	0	0	1	0.09	1	0.09
योग		127	58.02	233	347.95	1662	13,499.94	2022	13,903.89

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

## परिशिष्ट -3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण)

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						योग
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्चशिक्षा	6 (1.80)	5 (8.50)	2 (2.51)	1 (0.12)	2 (0.11)	1 (0.50)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	0	0	0	0	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	0	0	2 (0.40)	0	1 (0.16)	5 (3.96)	8 (4.52)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	0	0	3 (7.34)		1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.27)
5	तकनिकी शिक्षा	1 (0.00)	7 (49.91)	2 (1.91)	0	0	1 (0.25)	11 (52.07)
6	आदिम जाति	1 (4.00)	2 (0.91)	2 (0.71)	6 (13.67)	2 (0.93)	8 (1.96)	21 (22.18)
7	विक्रय पर व्यापार	0	0	0	0	0	1 (0.02)	1 (0.02)
8	महिला एवं बाल विकास	0	0	0	0	2 (3.50)	1 (0.32)	3 (3.82)
9	शिक्षा	9 (181.13)	1 (0.70)	8 (14.92)	3 (17.76)	4 (2.38)	36 (15.95)	61 (232.85)
10	पुलिस	86 (2.88)	62 (8.20)	27 (3.21)	7 (11.71)	5 (14.04)	2 (2.35)	189 (42.39)
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	0	0	22 (2.52)	22 (2.52)
12	तहसील	0	1 (0.49)	2 (0.50)	0	0	12 (1.57)	15 (2.55)
13	राज्य आबकारी	0	0	1 (2.37)	0	0	0	1 (2.37)
14	पशुपालन	42 (2.52)	75 (6.48)	31 (2.13)	0	0	5 (0.69)	153 (11.83)
15	लोक सेवा आयोग	0	0	1 (3.16)	0	0	0	1 (3.16)
16	सहकारिता	0	0	0	0	1 (96.26)	0	1 (96.26)
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	1 (0.00)	0	0	0	0	2 (1.00)
18	डेयरी विकास	0	0	0	1 (0.20)	0	1 (0.02)	2 (0.22)
19	रेशम	1 (0.00)	1 (0.10)	0	0	0	0	2 (0.10)
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	3 (0.20)	3 (1.04)	2 (1.48)	1 (7.79)	0	0	9 (10.48)
21	श्रम एवं रोजगार	0	2 (0.50)	3 (2.19)	2 (0.52)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.64)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

११

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0	1 (0.10)	0	0	3 (0.13)	4 (0.23)
23	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	0	1 (0.00)	1 (19.58)	0	2 (0.30)	11 (2.93)	15 (22.80)
24	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.06)	6 (33.02)	0	11 (3.15)	20 (46.08)
25	फसल कृषि कर्म	1 (0.00)	2 (0.16)	5 (5.83)	0	0	0	8 (5.99)
26	वन	22 (55.39)	31 (80.05)	116 (164.92)	179 (381.06)	239 (176.27)	352 (135.12)	939 (992.80)
27	लोक निर्माण	105 (4,438.35)	266 (6,556.76)	97 (1,115.55)	0	0	0	468 (12,110.65)
28	जन संसाधन विभाग	5 (6.61)	12 (185.71)	5 (6.72)	0	0	0	22 (199.05)
29	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	0	1 (0.05)	0	0	0	0	1 (0.05)
30	कलेक्ट्रेट	0	0	0	0	0	2 (0.38)	2 (0.38)
31	परिवहन विभाग	0	0	0	0	0	1 (0.04)	1 (0.04)
32	उद्योग	0	0	0	0	0	1 (0.15)	1 (0.15)
33	शहरी विकास	1 (0.09)	0	0	0	0		1 (0.09)
	<b>योग</b>	<b>286 (4,693.95)</b>	<b>474 (6,909.41)</b>	<b>312 (1,355.59)</b>	<b>206 (465.86)</b>	<b>260 (305.76)</b>	<b>484 (173.32)</b>	<b>2022 (13,903.89)</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)



## परिशिष्ट -3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 45)

वर्ष 2016-17 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली

(₹ रूपये में)

स. क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभाग	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि राशि	वसूली राशि
1	109	2406	वन	हानि	2006-07	1,35,083	1,35,083
2	110	2406	वन	हानि	1991-93	17,759	17,759
3	111	2406	वन	हानि	2001-02	17,831	17,831
4	112	2406	वन	हानि	2012-13	1,910	1,910
5	113	2406	वन	हानि	2003-04	4,406	4,406
6	114	2406	वन	हानि	2004-05	9,619	9,619
7	115	2406	वन	हानि	1993-95	8,089	8,089
8	116	2406	वन	हानि	1984-84	63,01.5	63,01.5
9	117	2406	वन	हानि	1984-85	11,010	11,010
10	120	2406	वन	हानि	1993-94	32,332	32,332
11	121	2406	वन	हानि	2011-12	3,86,224	3,86,224
12	123	2406	वन	हानि	2012-13	21,988	21,988
13	124	2406	वन	हानि	2000-01	32,524	32,524
14	125	2406	वन	हानि	1993-93	6,200	6,200
15	126	2406	वन	हानि	1993-95	22,200	22,200
16	127	2406	वन	हानि	2016-17	3,605	3,605
17	128	2406	वन	हानि	2010-12	7,235	7,235
18	129	2406	वन	हानि	2016-17	40,630	40,630
19	130	2406	वन	हानि	1993-94	32,332	32,332
20	131	2406	वन	हानि	2012-13	7,624	7,624
21	132	2406	वन	हानि	2010-11	13,512	13,512
22	133	2406	वन	हानि	2004-05	79,497	79,497
23	134	2406	वन	हानि	1996-97	34,783	34,783
24	135	2406	वन	हानि	1994-94	44,783	44,783
25	136	2406	वन	हानि	1998-99	43,035	43,035
26	137	2406	वन	हानि	2013-14	2,400	2,400
27	138	2406	वन	हानि	2013-14	8,011	8,011
28	139	2406	वन	हानि	1994-05	17,100	17,100
29	118	2055	पुलिस	हानि	2015-16	6,012	6,012
30	119	2055	पुलिस	हानि	2014-15	779	779
31	122	2055	पुलिस	हानि	2014-15	2,583	2,583
32	140	2055	पुलिस	हानि	2014-15	785	785
33	141	2055	पुलिस	हानि	2014-15	2,367	2,367
<b>योग</b>						<b>10,60,549.50</b>	<b>10,60,549.50</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट -3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

पूँजीगत के तहत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	प्रयोग्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4202	शिक्षण, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	45	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	28.75
2	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			12.88
3	4217	नगरीय विकास पर पूँजीगत व्यय			292.70
4	4225	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			188.47
5	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			269.45
6	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			330.00
7	4810	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पूँजीगत व्यय			271.65
8	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			1.00
9	4852	लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए पूँजीगत व्यय			26.30
10	5275	अन्य संचार सेवाएँ के लिए पूँजीगत व्यय			4.82
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय के लिए पूँजीगत			0.30
12	5452	पर्यटन के लिए पूँजीगत व्यय			6.62
13	4810	नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा के लिए पूँजीगत व्यय	14	निर्माण के लिए अनुदान	43.58
14	5275	अन्य संचार सेवाएँ के लिए पूँजीगत व्यय			2.36
15	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	01	वेतन एवं भत्ते	74.53
16	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			9.94
17	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग कल्याण के लिए पूँजीगत व्यय	24	विविध कार्य	0.50
18	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए पूँजीगत व्यय			0.45
19	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए पूँजीगत व्यय	04	कार्यालयीन व्यय	0.33
20	4700	वृहद सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.25
21	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.19
22	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			0.02
23	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म के लिए पूँजीगत व्यय			0.06
24	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय			0.06
25	4701	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	07	स्थापना एवं कार्यभारित आकस्मिक व्यय के लिए	2.44
26	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	10	वेतन, व्यावसायिक नौकरी के लिए	0.06
27	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म के लिए पूँजीगत व्यय	10	वेतन, व्यावसायिक नौकरी के लिए	2.85
28	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	03	भत्ता	1.77
29	4701	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			0.22
30	4700	वृहद दीर्घ सिंचाई परियोजना के लिए पूँजीगत व्यय	33	औजार एवं यंत्र	0.01
<b>योग</b>					<b>1,611.19</b>

(स्रोत: वित्त लेख से प्राप्त जानकारी)

**परिशिष्ट-3.9**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)  
**अनियमित स्वीकृति का विवरण**

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग	स्वीकृति तिथि	वर्गीकरण	कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6
<b>भाग-अ- पूँजीगत शीर्ष में दर्ज राजस्व कार्य</b>					
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 हेतु झिटकापारा मोड़ के नहर मुहान का मरम्मत कार्य	2.45
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/02/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 हेतु पलाचुर टैंक की वार्षिक मरम्मत कार्य	2.49
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-45/47 02, लघु सिंचाई आदिवासी	वर्ष 2016-17 का पलाचुर टैंक (डीसमैटलींग) का वार्षिक मरम्मत कार्य	2.49
4	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01/06/2016	मोंग संख्या-23/4700	एस.डी.ओ. बी.बी.सी. उपसंभाग सं.-1 आरंग का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	0.39
5	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	02/02/2016	मोंग संख्या-23/4700	निर्माण विभाग, रायपुर फेस-2 का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	1.58
6	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	06/04/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग सं.-4, पलारी एम.आर.पी. बांध का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	0.39
7	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	02/03/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग, आरंग एम.बी.सी. का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	0.34
8	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	04/04/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग कार्यालय सिंचाई परियोजना आरंग का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	0.43
9	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेस-II, कार्य संभाग, रायपुर, छ.ग.	01/06/2016	मोंग संख्या-23/4700	उपसंभाग सं.-10, आरंग एम.आर.पी. बांध का उष्ण मौसम प्रतिवदेन का आकलन	0.43
10	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2080 मी. से 2095 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
11	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2110 मी. से 2125 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
12	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2125 मी. से 2140 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
13	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मोंग संख्या-23/4700	केलो मुख्य बांध 2065 मी. से 2080 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1 2 3 4 5 6

1	2	3	4	5	6
14	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मांग संख्या— 23/4700	केलो मुख्य बांध 2050 मी. से 2065 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
15	कार्यपालन अभियंता, कैलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़, छ.ग.	13/12/2016	मांग संख्या— 23/4700	केलो मुख्य बांध 2095 मी. से 2110 मी. का अनुरक्षण कार्य	0.25
16	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	12/07/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.65
17	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	12/07/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.78
18	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	18/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.40
19	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.80
20	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.57
21	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.19
22	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.80
23	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.67
24	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्द (तुलसी) कोड नं-291 जिला रायपुर छ.ग.	28/10/2016	मांग संख्या— 75-4700-03-8 00-0311-5516 -26-005-V	सिमगा जिला के भाटापारा बांध का नमूना एवं चित्रकारी तथा अन्य संबंधित कार्य	0.5
25	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना वितरण संभाग-3 तिल्दा (तुलसी) कोड नं.-291 जिला रायपुर छ.ग.	03/06/2016	मांग संख्या— 23/4700-08-8 00-0101-2888 -26-005	लोक सूरज अभियान के पेयजल मुद्रण प्रबंधन हेतु वर्ष 2016 में एम.आर.पी. बांध, उप संभाग संख्या 04 पलारी पलैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	1.09

1	2	3	4	5	6
26	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	03/06/2016	मोंग संख्या— 23/4700-08-800-0101-2888-26-005	लोक सूरज अभियान के पेयजल मुद्रण प्रबंधन हेतु वर्ष 2016 के लिए फ्लैक्स बैनर तथा पैम्पलेट का आंकलन	1.52
27	कार्यपालन अभियंता, सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ छ.ग.	23/06/2016	मोंग संख्या— 23/4700	वर्षा ऋतु के दौरान केलो बांध वर्ष 2016 का अनुसंधान कार्य	5.80
28	कार्यपालन अभियंता, सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ छ.ग.	28/06/2016	मोंग संख्या— 23/4700	केलो परियोजना का झारमुरा बांध तेलिपाली का सिंचाई अवधि के दौरान बांध का संचालन एवं गश्ती कार्य एवं संचालन का आंकलन	3.73
29	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	02/03/2016	मोंग संख्या— 41/4702	अग्नि शामक उत्पाद संभाग सुकमा, कोण्टा जिला सुकमा का स्थापना एवं आपूर्ति का आंकलन	1.70
30	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	02/03/2016	मोंग संख्या— 41/4702	अग्नि शामक उत्पाद डब्ल्यू.आर. संभाग और उप संभाग का कार्यालय का भवन जिला बीजापुर का स्थापना एवं आपूर्ति का आंकलन	1.79
31	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	02/03/2016	मोंग संख्या— 41/4702	अग्नि शामक उत्पाद डब्ल्यू.आर. संभाग और उप संभाग का कार्यालय का भवन जिला कोण्डागांव का स्थापना एवं आपूर्ति का आंकलन	1.40
32	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	05/08/2016	मोंग संख्या— 41/4702	इंद्रावती परियोजना का कार्यालय भवन (प्रथम तल) बोधघाट सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर का डिस्ट्रीब्यूशन कार्य	0.46
33	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	05/08/2016	मोंग संख्या— 41/4702	इंद्रावती परियोजना का कार्यालय भवन (प्रथम तल) बोधघाट सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर का डिस्ट्रीब्यूशन कार्य	0.46
34	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	22/12/2016	मोंग संख्या— 41/4702	डब्ल्यू.आर. उप संभाग संख्या 03 कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का स्थानांतरण	0.19
35	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	22/12/2016	मोंग संख्या— 41/4702	एस.आर. पुरानी संभाग कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) का स्थानांतरण	0.14
36	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	22/12/2016	मोंग संख्या— 41/4702	के.डब्ल्यू.आर. उप संभाग कार्यालय भवन भनपूरी का दिवाल गिरने का मरम्मत एवं अनुसंधान	0.14
37	कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. डब्ल्यू.आर. संभाग जगदलपुर बस्तर छ.ग.	22/12/2016	मोंग संख्या— 41/4702	पुरानी टी.डी.पी.पी. संभाग भवन जगदलपुर जिला बस्तर का रंग पुताई	0.49

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६

1	2	3	4	5	6
38	मुख्य अभियंता महानदी वृत्त डब्ल्यू.आर.डी. रायगढ़ छ.ग.	06/02/2016	मोंग संख्या- 64/4700	लवण बांध संख्या 06 का संरचना के विधटन का आकंलन	2.32
39	मुख्य अभियंता महानदी वृत्त डब्ल्यू.आर.डी. रायगढ़ छ.ग.	02/01/2017	मोंग संख्या- 23/4700-02-8 00-0101-2898 -26-005-	20.01.2017 से स्वदेशी मेला 2017 जल श्रोत विभाग स्टौल का आकंलन	9.98
40	मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगों परियोजना बिलासपुर छ.ग.	13/0/2016	मोंग संख्या- 23/4700	वाहन संख्या सी.जी. 02- 1683 का मरम्मत एवं अनुरक्षण का आकंलन	1.48
41	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	02/03/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	महिन्द्रा मारशल जीप सी.जी. 02/1676 का मरम्मत का आकंलन	1.02
42	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	02/03/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	टाटा सोमो सी.जी. 02- 0888 का मरम्मत का आकंलन	0.97
43	मुख्य अभियंता महानदी परियोजना डब्ल्यू.आर.डी. रायपुर छ.ग.	25/02/2017	मोंग संख्या- 41/4700-03-8 00-0102-5685 -26-005-v	टाटा सोमो सी.जी. 02- 3455 का मरम्मत का आकंलन	1.00
44	कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा टी.एच.क्यू खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग.	23/01/2017	मोंग संख्या- 23/4700	रायगढ़ स्टेडियम के निकट नगर एवं खेलो विहार तथा खेलो सिंचाई कॉलोनी लोचन नगर का आवसीय भवन के मरम्मत एवं अनुरक्षण का आकंलन	5.74
45	वरिष्ठ भू सर्वेक्षण संभागीय भूतल जल सर्वेक्षण इकाई नं. 9 बिलासपुर छ.ग.	19/01/2017	मोंग संख्या- 23/4701	वर्ष 2016-17 के वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, संभागीय भू तल जल सर्वेक्षण इकाई संख्या 09 बिलासपुर एवं शासकीय वाहन संख्या सी.जी. 02- 0495 का मरम्मत कार्य	0.30
46	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	25/10/2016	मोंग संख्या- 41/4702	वर्ष 2016 के बस्तर दशहरा के प्रदर्शित मॉडल एवं स्टौल जगदलपुर जिला बस्तर की तैयारी का आकंलन	2.72
47	अधीक्षण अभियंता इंद्रावती परियोजना वृत्त जगदलपुर छ.ग.	28/01/2017	मोंग संख्या- 41/4702	बस्तर जिला के जगदलपुर में गणतंत्र दिवस महोत्सव की झांकी एवं परियोजना मॉडल	1.54
48	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस - II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	01/02/2017	मोंग संख्या- 4700-08-800-01 01-2884-26-005 -v	शासकीय वाहन संख्या सी.जी. 02- 3449 का मरम्मत का आकंलन	0.30
<b>भाग-ब- राजस्व शीर्ष में दर्ज पूंजीगत कार्य</b>					
1	अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर वृत्त- 1 रायपुर	02/05/2016	मोंग संख्या- 44/2202-798	नागाअर्जून विज्ञान कॉलेज भवन रायपुर के अतिरिक्त आठ कमरे का निर्माण	133.86

1	2	3	4	5	6
2	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 65.29 कि.मी. से 69.28 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
3	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 31.30 कि.मी. से 65.29 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
4	कार्यपालन अभियंता, महानदी परियोजना पेस – II कार्य संभाग रायपुर छ.ग.	26/09/2016	मांग संख्या— 23/2700-02-1 01-0000-2894- 24-006-v	शोमडा निसरा परिवर्तित योजना फेज 2 12.25 कि.मी. से 17.02 कि.मी. बांध का निरीक्षण कार्य का आकंलन	1.00
<b>योग</b>					<b>136.86</b>

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३

परिशिष्ट -3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 46)

वर्ष 2016-17 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तिओं के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0852-उद्योग	1.95	2.55	130.77*
2	0211-परिवार कल्याण	0.05	0.05	100.00
3	0217-शहरी विकास	6.74	6.74	100.00
4	0220-सुचना तथा प्रचार	0.06	0.06	100.00
5	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7.71	7.71	100.00
6	1053-नगर विमानन	0.71	0.71	100.00
7	0047-अन्य	0.01	0.01	100
8	0702-लघु सिंचाई	180.84	180.83	99.99
9	0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	2.46	2.35	95.53
10	0059-लोक निर्माण	7.44	7.03	94.49
11	0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	41.12	33.49	81.44
12	0055-पुलिस	15.29	11.89	77.76
13	0408-खाद्य भंडार एवं भंडारण	0.49	0.33	67.35
14	0058-लेखन सामाग्री तथा मुद्रण	4.48	2.92	65.18
15	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11.22	5.60	49.91
16	0401-फसल कृषि कर्म	14.40	6.40	44.44
17	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36.66	15.71	42.85
18	0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	27.04	10.90	40.31
19	0403-पशुपालन	6.25	2.41	38.56
20	0405-मछली पालन	4.09	1.48	36.19
21	0029-भू-राजस्व	503.66	181.33	36
22	0230-श्रम तथा रोजगार	19.35	5.46	28.22
23	0701- मध्यम सिंचाई	6.28	1.71	27.23
24	0406-वाणिकी एवं वन्य प्राणी	405.15	103.38	25.52
25	0250-अन्य सामाजिक सेवाएं	28.71	7.26	25.29
26	0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,141.47	884.53	21.36
27	0056-जेल	7.72	1.61	20.85
28	0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	46.50	7.50	16.13
29	0043-विद्युत कर तथा शुल्क	1,495.48	217.16	14.52
30	0041-वाहन कर	985.27	128.90	13.08
31	0851-लघु एवं ग्रामोद्योग	1.79	0.21	11.73
32	0039-राज्य उत्पाद शुल्क	3,443.51	365.66	10.62
33	0023-होटल प्राप्ति कर	8.71	0.92	10.56

\* राजस्व वापसियों के कारण मुख्यशीर्ष 0852 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 की प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष की कुल प्राप्तियाँ से अधिक परिलक्षित हो रहा है। इस मुख्यशीर्ष में ₹ 0.76 करोड़ राजस्व वापसियाँ थी।



## परिशिष्ट –3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 46)

वर्ष 2016–17 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय	प्रतिशत
1	2075–विविध सामान्य सेवाएं	0.27	0.27	100
2	3275–अन्य संचार सेवाएं	59.09	59.09	100
3	5275– अन्य संचार सेवा पर पूंजीगत व्यय	7.18	7.18	100
4	4701–मध्यम सिंचाई	118.08	104.47	88.47
5	4700–मुख्य सिंचाई	691.85	575.84	83.23
6	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	477.60	284.83	59.64
7	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	166.61	35.09	21.06
8	2250–अन्य सामाजिक सेवाएं	9.41	1.89	20.09
9	2852–उद्योग	118.62	21.87	18.44
10	4801– पूंजीगत व्यय के साथ ऊर्जा परियोजना	820.02	100.00	12.19
11	2245– आपदा एवं प्राकृतिक जलवायु राहत लेखा	803.68	90.41	11.25

(स्रोत: वित्त लेखे से प्राप्त जानकारी)

## परिशिष्ट –3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.8.1; पृष्ठ 46)

31.03.2017 को सरकारी खाता से बाहर निधि की पार्किंग की स्थिति

क्र. सं.	लेखापरीक्षित कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि	संबंधित वर्ष से
1	जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा	मध्यान्ह भोजन योजना	322.38	2011–12
2	जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर चांपा	मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत किचन शेड का निर्माण	106.01	2013–14
3	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मुंगेली	मध्यान्ह भोजन योजना	51.54	2015–16
4	समाहरणालय, सुकमा	आपदा प्रबंधन एवं अन्य योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य	145.14	2012–13 एवं 2015–16
5	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कोरबा	विभिन्न योजना	785.18	2014–15 एवं 2015–16
6	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अम्बिकापुर	स्टोर एवं अन्य में आपूर्ति	29.56	
7	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बैकुण्ठपुर	संचार, नर्सिंग प्रशिक्षण विशेष कोचिंग मानदेय, खेल मैदान का अनुरक्षण	42.74	2014–15 एवं 2015–16
8	संचालन, महिला एवं बाल कल्याण	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना महिला सशक्तिकरण, एकीकृत बाल संरक्षण योजना	1659.57	
9	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, महासमुन्द	छात्रावास का निर्माण एवं अन्य योजना	190.39	
10	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर	छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	267.77	2014–15
योग			3,600.28	

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

परिशिष्ट-3.13  
(संदर्भ: कंडिका 3.8.2; पृष्ठ 47)  
विभागवार और वार्षिक अस्थाई अग्रिम की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि
1	2	3	4	5
1	कार्यालय संयुक्त संचालन, पशु चिकित्सा सेवायें जिला रायपुर	2014-15	15	20.16
		2015-16	13	26.43
2	सहायक, भूमि संरक्षण अधिकारी, कोण्डागांव	2012-13	1	0.05
		2013-14	2	34.89
		2015-16	6	81.53
3	उप संचालक, कृषि, जगदलपुर	2012-13	10	2.99
		2014-15	5	1.44
		2015-16	37	16.85
4	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभाग, अम्बिकापुर	2012-13	3	5.29
		2013-14	1	10.00
		2015-16	22	221.55
5	कार्यालय समाहरणालय जिला निर्वाचन, गरियाबंद	2014-15	5	23.92
6	अधीक्षक शासकीय विकलांक शिशु आवास माना कैंप रायपुर	2009-10	4	0.85
		2010-11	8	8.40
		2011-12	6	1.20
7	प्राचार्य शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर	2011-12	1	0.10
		2013-14	1	0.18
		2014-15	12	2.21
		2015-16	33	3.04
8	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, नारायणपुर	2008-09	1	0.03
		2012-13	1	0.57
		2013-14	4	23.65
		2014-15	1	0.25
9	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, अम्बिकापुर	1988 से 1994	1	3.90
		2007-08	1	0.02
10	कार्यालय कलेक्टर, धमतरी	2010-11	2	0.40
		2011-12	1	0.71
		2012-13	3	6.32
		2013-14	16	70.57
		2014-15	7	4.63
		2015-16	6	13.94
11	नगर पंचायत कोरबा	2014-15	7	7.63
		2015-16	20	54.13
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बेमेतरा	2008-09	6	5.55
		2011-12	1	1.65
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर्वधा जिला कर्वधा	2007-08	2	2.48
		2010-11	2	0.14
		2012-13	1	0.08
		2015-16	4	0.85
14	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महासमुन्द जिला महासमुन्द	2011-12	1	0.30
		2013-14	12	2.12
		2014-15	13	2.96
		2015-16	7	1.06
15	आयुक्त नगर पालिका निगम, धमतरी	2013-14	11	2.77
		2014-15	19	3.92
		2015-16	15	7.64

1	2	3	4	5
16	उप संचालक, समाज सेवा, रायगढ़	2008-09	9	0.39
		2009-10	4	1.50
		2010-11	7	1.03
		2011-12	1	0.55
17	जिला निर्वाचन, समाहरणालय कार्यालय, दुर्ग	1999 एवं 2000	35	1.95
		2000-2001	16	1.18
		2003-04	7	0.22
		2004-05	24	1.04
		2005-06	13	1.09
		2006-07	11	0.10
		2007-08	6	0.23
		2008-09	5	0.26
		2009-10	17	1.52
		2010-11	7	0.03
		2011-12	6	0.29
		2012-13	5	0.39
		2015-16	1	0.10
18	मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदा बाजार	1980-81	6	0.60
		1981-82	3	0.11
		1982-83	3	0.66
		1985-86	1	0.05
		1987-88	3	0.33
		1988-89	2	0.41
		1994-95	1	0.65
		1999-00	1	0.22
		2002-03	1	0.11
		2003-04	1	0.18
		2004-05	2	0.46
		2005-06	1	1.20
		2006-07	9	6.26
		2007-08	14	7.74
		2008-09	26	13.86
		2009-10	38	18.53
		2010-11	2	2.62
2011-12	9	7.23		
2012-13	4	3.57		
2013-14	4	4.49		
2014-15	1	0.60		
<b>योग</b>			<b>658</b>	<b>761.96</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट -3.14

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ 47)

राशि ₹ 79.44 करोड़ की केशबुक के अनुचित रखरखाव को दिखते हुए विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	क्षेत्र	आक्षेप का प्रकृति	राशि
1	2	3	4	5
1	सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, अम्बिकापुर	राजस्व क्षेत्र	राशि ₹ 1,28,512.00 कोषालय बिल नं 91 से संबंधित वेतन देयक रोकड़ पुस्तिका में इंद्राज न किया जाना	1.29
2	उप आयुक्त (आबकारी), रायपुर	राजस्व क्षेत्र	राशि ₹ 54,905.00 बिल नं 284 दिनांक 16.03.2016 का कोषालय व्हाउचर का रोकड़ पुस्तिका एवं देयक पुस्तिका में इंद्राज न किया जाना।	0.55
3	जिला खनिज अधिकारी, दुर्ग (खनिज विभाग)	राजस्व क्षेत्र	i. कुल राशि ₹ 1,69,058.00 राशि का केश बुक के निर्धारित स्थान में इंद्राज न किया जाना ii. रोकड़ पुस्तिका के लिए उत्तरदायी अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी से रोकड़ पुस्तिका में योग का जाँच न किया जाना।	1.69
4	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	i. स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 45,05,998 प्राप्त कर केश बैंक में इंद्राज न किया जाना	45.06
5	जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पेण्ड्रा	समाजिक क्षेत्र	राशि ₹ 85,500 का केश बुक में इंद्राज न किया जाना	0.86
6	जिला शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर	समाजिक क्षेत्र	राशि ₹ 65.31 का इंद्राज न किया जाना	65.31
7	पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय, रायपुर	समाजिक क्षेत्र	(i) वर्ष 2011-12, में बैंक जमा राशि ₹ 3,26,87,694 के स्थान पर राशि ₹ 322,30,420 जमा किया जाना अल्प जमा राशि ₹ 4,57,274	4.57
			(ii) परीक्षा शुल्क ₹ 5,32,674 का बैंक में अल्प जमा	5.32
8	प्राचार्य, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तरई, दुर्ग	समाजिक क्षेत्र	व्यय राशि ₹ 4,59,576 केश बुक में इंद्राज न किया जाना	4.6
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव	समाजिक क्षेत्र	वर्ष मार्च 2015 की अवधि में एन.आर.एच.एम रोकड़ पुस्तिका में राशि ₹ 98,44,100 को ₹ 1,05,00,100 दिखाया जाना	6.56
10	श्रम अधिकारी, अम्बिकापुर	समाजिक क्षेत्र	कोषालय से आहरित राशि ₹ 2.43 लाख को केशबुक में इंद्राज न किया	2.43
11	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरा, गरियाबंद	समाजिक क्षेत्र	रोकड़ बही का अनियमित रख रखाव ₹ 61310 शेष का समायोजन न किया जाना	0.61
12	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसीवा	समाजिक क्षेत्र	(i) राशि ₹ 14.06 लाख ₹ 13.58 लाख और ₹ 10.68 लाख रोकड़ पुस्तिका में न लिया जाना	38.32
13	यंत्री ग्रामिण यांत्रिकी सेवा, जांजगीर	समाजिक क्षेत्र	प्रमाणक के साथ केशबुक की राशि ₹ 10,872 मिलान न किया जाना	0.11
14	उप संचालक, समाज कल्याण, दुर्ग	समाजिक क्षेत्र	(i) मार्च 2014 से सितम्बर 2016 तक राशि ₹ 58,38,85,950 का केशबुक में संधारण न किया जाना	5,838.86
			(ii) राशि ₹ 2,50,000 निस्तार जन शिविर मेला की निकासी कर से बाहर	2.5
1	2	3	4	5

15	जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, महासमुन्द	समाजिक क्षेत्र	रोकड़ पुस्तिका में कुल राशि ₹ 7,00,706 दिनांक 30.08.2016 के बाद न लिखा जाना लेकिन उसी अवधि में ₹ 748296 की निकासी	7.48
16	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 5,76,663	5.77
17	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, सेजबहार, रायपुर	समाजिक क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 7,14,70,174	714.7
18	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गुरुर	समाजिक क्षेत्र	बैंक पासबुक एवं केशबुक में अन्त शेष राशि में अन्तर ₹ 15,51,186	15.51
19	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गुण्डरदेही, बालोद	समाजिक क्षेत्र	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 34 लाख	34.00
20	मुख्य अभियंता, जिला पंचायत, जांजगीर चांपा	स्थानीय निकाय	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 8,93,37,373.16.	893.37
21	मुख्य अभियंता जिला पंचायत, रायगढ़	स्थानीय निकाय	पासबुक एवं केशबुक में अन्तर राशि ₹ 2,06,866	2.06
22	ग्राम पंचायत सहसपुर, लोहारा	स्थानीय निकाय	बैंक पासबुक से केशबुक का अन्त शेष का मिलान न किया जाना	4.65
23	कलेक्टर, कोरिया	सामान्य क्षेत्र	अंतशेष राशि का ओपनिंग बैलेंस का मिलान न किया जाना राशि ₹ 2,46,43,804	246.44
24	विकास खंड चिकित्सा अधिकारी बागबहरा, महासमुन्द	समाजिक क्षेत्र	अंतशेष की राशि को गलत अग्रेषण करना जिससे राशि ₹ 1,57,412 की लेखा में कमी	1.57
<b>योग</b>				<b>7,944.19</b>

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट -3.15

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ 47)

रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	आलोचना की प्रकृति
<b>राजस्व क्षेत्र</b>		
1	2	3
01	वाणिज्य कर अधिकारी अम्बिकापुर	दिनांक 14.10.2014 से 4/2016 तक केशबुक में लेनदेन का इंद्राज किया जाना
02	सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव	केशबुक में सफेदा का उपयोग किया जाना
03	सहायक आयुक्त, आबकारी, कोरबा	केशबुक में सफेदा का उपयोग किया जाना
04	जिला आबकारी अधिकारी, बालोद	आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापन न कराया जाना एवं केशबुक में सफेदा को उपयोग किया जाना
05	संचालक, भूमि एवं खनन विभाग, रायपुर	(i) अवधि 29.02.2016 से 11/2016 केशबुक में पेंसील से इंद्राज किया जाना (ii) केशबुक में सुधार को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापन न कराया जाना
06	उप संचालक, खनिज विभाग, रायपुर	(i) केशबुक में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का हस्ताक्षर न होना (ii) केशबुक में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर न पाया जाना (iii) प्रारंभिक राशि अंतशेष राशि प्राप्ति एवं महायोग को पेंसिल से लिखना (iv) उपरी लेखन को सत्यापन न किया जाना।
07	जिला खनिज अधिकारी, राजनांदगांव	(i) अवधि 24.12.2016 से 04.03.2017 केशबुक का इंद्राज न किया जाना (ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाया गया (iii) रोकड़ भौतिक सत्यापन प्रमाण एवं शेष बैंकशेष राशि का प्रमाण न किया जाना
08	जिला खनिज अधिकारी, बालोद	(i) दिनांक 06.06.2016 के बाद केशबुक का संधारण न किया जाना (ii) दिनांक 01.09.2014 के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इंद्राज को प्रमाणित न किया जाना (iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अलावा इंद्राज कर्ता आद्य हस्ताक्षर न किया जाना। (iv) रोकड़ भौतिक सत्यापन प्रमाण एवं शेष बैंकशेष राशि का प्रमाण न किया जाना
09	तहसीलदार कुरुद (भू राजस्व)	(i) प्राप्ति का उचित स्थान पर इंद्राज न किया जाना (ii) उचित प्राधिकारी का हस्ताक्षर न पाया जाना (iii) मासिक विवरण का न बनाया जाना
<b>सामान्य क्षेत्र</b>		
10	कलेक्टर, कबीरधाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा राशि 58.52 लेनदेन का प्रमाण न पाया जाना। राशि 18,49,800 का वर्गीकरण बिना सत्यापन का किया जाना
11	संचालक, राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला रायपुर	(i) 12/2014 से लेखापरीक्षा अवधि तक अपूर्ण इंद्राज (ii) रोकड़ पुस्तिका लिखने वाले कम/अधिक का आद्यक्षर न होना (iii) नियमित अंतराल पर रोकड़ पुस्तिका को संवरन न किया जाना
12	संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी बलौदा बाजार	(i) अवधि 1/2013 से 1/2016 केशबुक में हस्ताक्षर नहीं है। (ii) नियमित अंतराल पर रोकड़ पुस्तिका को संवरन न किया जाना (iii) केशबुक भौतिक सत्यापन न किया जाना (iv) 3/2016 से प्राप्ति एवं व्यय का इंद्राज न किया जाना
13	संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी, बलौदा बाजार	(i) केशबुक का संधारण न किया जाना (ii) अवधि 2/2013 से 4/2016 तक 2,19,042 पासबुक में प्राप्ति एवं व्यय, केशबुक के मिलान न होना जिस कारण संबंधित शीर्ष का सुनिश्चित नहीं कर पाना।

आर्थिक क्षेत्र		
14	संयुक्त संचालक, पशुपालन, बिलासपुर	(i) व्यय राशि 52.75 करोड़ अवधि 2/2013 से 3/2016 उचित रूप से इंड्राज न किया जाना (ii) केशबुक में पेंसिल से इंड्राज किया जाना (iii) अवधि 2/13 से 3/16 तक दिये गये अस्थायी/अग्रिम केशबुक में इंड्राज न किया जाना न ही अलग रजिस्टर का संधारण न किया जाना
15	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (सड़क एवं सेतु) संभाग, कोंडागांव	(i) केशबुक का उचित रूप से संधारण न किया। (ii) केशबुक का भौतिक सत्यापन न किया जाना। (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा केशबुक में सत्यापन न ही किया जाना।
सामाजिक क्षेत्र		
1 6	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सीतापुर	सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना
1 7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्वधा	अवधि 2015-16 से केशबुक का संधारण न किया जाना केशबुक का संधारण टैली साफ्टवेयर में किया जाना
1 8	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग रायगढ़	केशबुक के सफेदा का उपयोग भौतिक सत्यापन न किया जाना व्यय, वेतन, कर्मचारियों के अग्रिम एवं भत्ते आदि केशबुक में इंड्राज न करना
1 9	ग्रामिण यांत्रिकी सेवा संभाग, गरियाबंद	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 0	सहायक अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, बिलासपुर	प्रारंभिक शेष पेंसिल से लिखा जाना तिथिवार इंड्राज न किया जाना गलती सुधार में सक्षम प्रवधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न होना
2 1	ग्रामिण यांत्रिक सेवा संभाग, कोरिया	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नारायणपुर	केशबुक के एम.आर.सी. संधारण न किया जाना
2 3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बागबहरा, महासमुन्द	(i) अवधि 8/2016 से 3/2017 तक रोकड़ पुस्तिका संधारण न किया जाना (ii) पासबुक एवं रोकड़ पुस्तिका के शेष में अंतर (iii) व्यय किये गये राशि में व्यय पक्ष पर नाम उल्लेख न किया जाना
2 4	सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, दुर्ग	केशबुक के सफेदा का उपयोग केशबुक में भौतिक सत्यापन का प्रमाण अंकित न किया जाना।
2 5	संचालक, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	रोकड़ पुस्तिका का संधारण न किया जाना।
स्थानिय निकाय		
2 6	ग्राम पंचायत, खरसिया, रायगढ़	i. केशबुक का भौतिक सत्यापन न पाया जाना। ii. 10,000 से अधिक भुगतान नगदी में किया गया। iii. सभी योजनाओं से संबंधित एक ही रोकड़ पुस्तिका संधारण किया जाना।
2 7	ग्राम पंचायत, गौरपार, खरसिया, रायगढ़	
2 8	ग्राम पंचायत, कुरु, खरसिया, रायगढ़	
2 9	ग्राम पंचायत, बुरा, खरसिया, रायगढ़	
3 0	ग्राम पंचायत, छाल, धरमजयगढ़, खरसिया, रायगढ़	
3 1	ग्राम पंचायत, चंद्रशेखरपुर, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 2	ग्राम पंचायत, खोदापाली, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 3	ग्राम पंचायत, लात, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 4	ग्राम पंचायत, पुशलदा, धरमजयगढ़, रायगढ़	
3 5	ग्राम पंचायत, खम्हार, खरसिया, रायगढ़	
3 6	ग्राम पंचायत, अर्जुनी, शक्ति,	

वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

११

6	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, पोस्था, शक्ति,		
7	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, तेदुटोहा,		
8	जांजगीर-चांपा		
3	ग्राम पंचायत, पटोरापाली कला,		
9	शक्ति, जांजगीर-चांपा		
4	ग्राम पंचायत, सकरेली, शक्ति,		
0	जांजगीर-चांपा		
4	ग्राम पंचायत, कडरो जनपद		
1	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, खरकटा, जनपद		
2	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, चिकनीपानी, जनपद		
3	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, लुनडेग, जनपद		
4	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, कीलकीला, जनपद		iv. केशबुक का भौतिक सत्यापन न पाया जाना। v. 10,000 से अधिक भुगतान नगदी में किया गया। vi. सभी योजनाओं से संबंधित एक ही रोकड़ पुस्तिका संधारण किया जाना।
5	पंचायत, पत्थलगांव		
4	ग्राम पंचायत, कुण्डा जनपद		
6	पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, मेहली, जनपद		
7	पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, कोडवागोदान,		
8	जनपद पंचायत, पंडरीया		
4	ग्राम पंचायत, कुन, जनपद		
9	पंचायत, पंडरीया		
5	ग्राम पंचायत, चीलफी, जनपद		
0	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, मदमदा, जनपद		
1	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, खैरीबनकला, जनपद		
2	पंचायत, बोदला		
5	ग्राम पंचायत, पोण्डी, जनपद		
3	पंचायत, बोदला		

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)